रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 Registered No. D (D) 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11, 1978/माघ 22, 1899
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11, 1978/MAGHA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 205.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के कार्यालय के ग्रेड-2 कम्पनी अभियोजक, श्री शेखर चक्रवर्ती को पश्चिमी बंगाल के सभी न्यायालयों में कथित अधिनियम से उत्पन्न अभियोग मामलों की पैरवी के लिये कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है ।

[फाइल सं० 12/13/77-सी०एल०-4]
बी० बी० बरुरी, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 25th January, 1978

G.S.R. 205.—In exercise of the powers conferred by Sec. 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, hereby appoints Shri Sekhar Chakraborty, Company Prosecutor, Gr. II in the office of the Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta as Company Prosecutor for the conduct of prosecution cases arising out of the said Act in all the courts of West Bengal.

[F. No. 12/13/77-C.L. IV]
B. B. BARURI, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 206.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग (टेलीफोन आपरेटर) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग (टेलीफोन आपरेटर) भर्ती (छठा संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रशासनिक सुधार विभाग (टेलीफोन आपरेटर) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में—टेलीफोन आपरेटर के पद के सामने—

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अराजपत्रित) (अलिपिक-वर्गीय)" ;

(ख) स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०"

[सं० ए-12018/8/76-प्रशासन]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 21st January, 1978

G.S.R. 206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms (Telephone Operators) Recruitment Rules, 1968 namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms (Telephone Operators) Recruitment (Sixth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Department of Administrative Reforms (Telephone Operators) Recruitment Rules, 1968,—

against the post of Telephone Operator,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group C (Non-gazetted) (Non-ministerial)".

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400".

[No. A-12018/8/76-Admn.]

सा० का० नि० 207—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग सहायक काडर-बाह्य (लेखापाल) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग सहायक आडर बाह्य (लेखापाल) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशासनिक सुधार विभाग सहायक काडर-बाह्य (लेखापाल) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में,

सहायक काडर-बाह्य (लेखापाल) के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय) ;

(ख) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800 रु०"

[संख्या ए-12018/8/76-प्रशासन]

G.S.R. 207.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms Assistant Ex-Cadre (Accountant) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms Assistant Ex-Cadre (Accountant) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Administrative Reforms Assistant Ex-cadre (Accountant) Recruitment Rules, 1968,—

against the post of Assistant Ex-cadre (Accountant),—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group B (Non-gazetted) (Ministerial)".

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800".

[No. A-12018/8/76-Admn.]

सा० का० नि० 208—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती (आठवां संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में,

(1) नक्शानवीस के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख (अराजपत्रित) (अलिपिक-वर्गीय)";

(ख) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०"

(2) गेस्टेटनर आपरेटर (ज्येष्ठ) के पद के सामने—

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अराजपत्रित) (लिपिकवर्गीय)"

(ख) स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"260-6-326-द०रो०-8-350 रु०"

(ग) स्तम्भ 12 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कनिष्ठ विभागीय प्रोन्नति समिति—

1. निदेशक/उप सचिव प्रशासन के भारसाधक	अध्यक्ष
2. श्री बी० एम० राव, अवर सचिव	सदस्य
3. श्री टी० आर० आहूजा, अवर सचिव	सदस्य
4. श्री गंगा दास, अवर सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य"

(3) दफ्तरी/जमादार के पद के सामने

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ (अराजपत्रित) (अलिपिक-वर्गीय)"

(ख) स्तंभ 4 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु"

(ग) स्तंभ 12 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कनिष्ठ विभागीय प्रोन्नति समिति

1. निदेशक/उप सचिव प्रशासन के भारसाधक	—अध्यक्ष
2. श्री बी० एन० राव, अवर सचिव	—सदस्य
3. श्री टी० आर० आहूजा, अवर सचिव,	—सदस्य
4. श्री गंगा दास, अवर सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	—सदस्य"

(4) चपरासी के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ (अराजपत्रित)";

(ख) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"196-3-220-द० रो० 3-232 रु०"

(5) फराश/झाड़ूकश के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ (अराजपत्रित)";

(ख) स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"196-3-220-द० रो०-3-232 रु"

[संख्या ए०-12018/8/76-प्रशासन]

G.S.R. 208.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment (Eighth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1968.—

(i) against the post of Draftsman,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group C (Non-gazetted) (Non-ministerial)".

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560."

(ii) against the post of Gestetner Operator (senior),—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group C (Non-gazetted) (ministerial).".

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 260-6-326-EB-8-350".

(c) in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Junior Departmental Promotion Committee

1. Director/Dy. Secretary in charge of Administration	—Chairman
2. Shri B. M. Rao, Under Secretary	—Member.
3. Shri T. R. Ahuja, Under Secretary	—Member.
4. Shri Ganga Das, Under Secretary Ministry of Tourism & Civil Aviation	—Member."

(iii) against the post of Daftry/Jamadar,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted namely :—

"General Central Service Group D (Non-gazetted) (Non-Ministerial)";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250";

(c) in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Junior Departmental Promotion Committee

1. Director/Dy. Secretary in charge of Administration	—Chairman.
2. Shri B. M. Rao, Under Secretary	—Member.
3. Shri T. R. Ahuja, Under Secretary	—Member.
4. Shri Ganga Das, Under Secretary Ministry of Tourism & Civil Aviation.	—Member."

(iv) against the post of Peon,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service. Group D (Non-gazetted)";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 196-3-220-EB-3-232".

(v) against the post of Farash/Sweeper,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group D (Non-gazetted)";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 196-3-220-EB-3-232".

[No. A-12018/8/76-Admn.]

सा० का० नि० 209.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग गेस्टेटनर आपरेटर (कनिष्ठ) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग गेस्टेटनर आपरेटर (कनिष्ठ) भर्ती (सातवां संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 प्रशासनिक सुधार विभाग गेस्टेटनर आपरेटर (कनिष्ठ) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में :—

गेस्टेटनर आपरेटर (कनिष्ठ) के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह घ, अराजपत्रित";

(ख) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"210-4-250-द०रो०-5-270 रु०"

(ग) स्तभ 12 मे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"कनिष्ठ विभागीय प्रोन्नति समिति

1. निदेशक/उप-निदेशक प्रशासन का भारसाधक —अध्यक्ष
2. श्री बी० एम० राव, अवर सचिव —सदस्य
3. श्री टी० आर० आहुजा, अवर सचिव —सदस्य
4. श्री गंगा दास, अवर सचिव,
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय —सदस्य

[संख्या ए-12018/8/76-प्रशासन]

G.S.R. 209.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms, Gestetner Operator (Junior) Recruiment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms Gestetner Operator (Junior) Recruitment (Seventh Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Department of Administrative Reforms Gestetner Operator (Junior) Recruitment Rules, 1968,

against the post of Gestetner Operator (Junior),—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"General Central Service Group D, Non-gazetted";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"Rs. 210-4-250-EB-5-270".

(c) in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted namely :—
"Junior Departmental Promotion Committee

1. Director/Dy. Secretary in charge of Administration. —Chairman.
2. Shri B. M. Rao, Under Secretary —Member
3. Shri T. R. Ahuja, Under Secretary —Member.
4. Shri Ganga Das, Under Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation —Member."

[No. A-12018/8/76-Admn.]

सा० का० नि० 210—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती (पंचम संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशासनिक सुधार विभाग भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में,—

पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—
"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अलिपिकवर्गीय) (अराजपत्रित)";

(ख) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०"

[संख्या ए-12018/8/76-प्रशासन]

G.S.R. 210.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Librarian (Department of Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Librarian (Department of Administrative Reforms) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Librarian (Department of Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1965,—

against the post of Librarian,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"General Central Service, Group C (Non-ministerial) (Non-gazetted)";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—
"Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700".

[No. A-12018/8/76-Admn.]

सा० का० नि० 211—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1 (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में,

(1) ज्येष्ठ विश्लेषक के पद के सामने—

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित "रखा" जाएगा अर्थात्:—
"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित)";

(ख) स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"1100-50-1600 रु०"

(ग) स्तम्भ 11 में "वर्ग 1 या वर्ग 2" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
"समूह क या समूह ख"

(2) कनिष्ठ विश्लेषक के पद के सामने—

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख राजपत्रित (अलिपिकवर्गीय)"

(ख) स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"650-30-740-35-810-ब० रो०-35-880-40-1000-ब० रो०-40-1200 रु०"

(ग) स्तंभ 11 में "वर्ग 2" शब्द के स्थान पर "समूह ख" शब्द रखा जाएगा;

(3) अनुसंधान सहायक के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्.—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख (अराजपत्रित) (अलिपिक-वर्गीय)";

(ख) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट रखी जाएगा, अर्थात्:—

"550-25-750-ब० रो०-30-900 रु०"

(ग) स्तंभ 11 में, "वर्ग 2" शब्द के स्थान पर "समूह ख" शब्द रखा जाएगा और "वर्ग 3" शब्द के स्थान पर "समूह ग" शब्द रखा जाएगा ।

(4) अन्वेषक के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अराजपत्रित) (अलिपिक-वर्गीय)"

(ख) स्तम्भ 4 मे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"425-15-500-ब० रो०-15-560-20-700 रु०"

(ग) स्तंभ 11 में, "वर्ग 3" शब्द के स्थान पर "समूह ग" शब्द रखा जाएगा।

[सं० ए० 12018/8/76-प्रशासन]

G.S.R. 211.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruiment Rules, 1969,—

(i) against the post of Senior Analyst,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group A (Gazetted.";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1100-50-1600.";

(c) in column 11, for the words "Class I or Class II", the following shall be substituted, namely :—

"Group A or Group B.";

(ii) against the post of Junior Analyst,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group B Gazetted (Non-Ministerial).";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.";

(c) in column 11, for the word "Class II", the word "Group B" shall be substituted;

(iii) against the post of Research Assistant,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group C (Non-gazetted) (non-Ministerial).";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 550-25-750-EB-30-900";

(c) in column 11, for the word "Class II", the word "Group B" shall be substituted and for the word "Class III" the word "Group C" shall be substituted;

(iv) against the post of Investigator,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group C (Non-gazetted) (Non-Ministerial).";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700".

(c) in column 11, for the word "Class III", the word "Group C" shall be substituted.

[No. A-12018/8/76-Admn.]

सा० का० नि० 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग (हिन्दी टंकक) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग (हिन्दी टंकक) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियम 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रशासनिक सुधार विभाग (हिन्दी टंकक) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में,—

हिन्दी टंकक—के पद के सामने—

(क) स्तंभ 3 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अराजपत्रित) (लिपिक-वर्गीय)"

(ख) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"260-6-290-ब० रो० 6-326-8-366-ब०रो०-8-390-10-400 रु०"

[सं० ए० 12018/8/76-प्रशासन]

G.S.R. 212.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms (Hindi Typist) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms (Hindi Typist) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Administrative Reforms (Hindi Typist) Recruitment Rules, 1967,—

against the post of Hindi Typist,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group C (Non-gazttted) (Ministerial).";

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400".

[No. A-12018/8/76-Admn.]

सा० का० नि० 213——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2 प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती नियम, 1968 में——नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:——

"4क चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को होमगार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व·

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष तक की अवधि के लिए होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेना होगा·

परन्तु कमांडेन्ट जनरल, होमगार्ड प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य सम्पादन और उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के स्तर को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को घटा कर दो वर्ष कर सकता है ।"

[संख्या ए० 12018/9/75-प्रशासन]

इकबाल सिंह आहलूवालिया, अवर सचिव

G.S.R. 213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1968 :—

after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"4A. Liability of persons appointed as peons to undergo training as Home Guards :

Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years :

Provided that the Commandant General, Home Guards, may having regard to the performance of an standard of training achieved by, any person during the period of training, reduce such period to two years".

[No. A-12018/9/75-Admn.]

I. S. AHLUWALIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 214——केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ——

1 (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं)——संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये 22 सितम्बर, 1977 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2 अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 22 ख में, उप-नियम (5) को हटा दिया जाए।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22 सितम्बर, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-1 (14)-ई वी (डी)/76 द्वारा सेवा-निवृत्त होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की देय मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान में से अंशदायी परिवार पेंशन के प्रति अंशदान के रूप में दो महीने की परिलब्धियों अथवा पांच हजार रुपये, जो भी कम हो, की कटौती को समाप्त करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं । ये आदेश 22 सितम्बर, 1977 से लागू हो गए हैं । इन आदेशों के उपबन्धों को अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू करने के लिए अखिल भारती सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 को भूतलक्षी प्रभाव 22 सितम्बर, 1977 से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है । इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

[सं० 25011/42/77-अ०भा० से० (II)]

वी० के० चेरियन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1978

G.S.R. 214.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits), Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 22nd day of September, 1977.

2. In rules 22-B of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, sub-rule (5) shall be omitted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance have issued orders discontinuing the deduction of two months emoluments or five thousand rupees, whichever is less, from the death-cum-retirement gratuity payable to retiring Government servants as contribution towards Contributory Family Pension Scheme vide

O.M. No. F. 1(14)-EB(B)/76 dated the 22nd September, 1977. These orders have come into force with effect from the 22nd September, 1977. It is proposed to extend the provisions of these orders to All India Services by amending All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, with retrospective effect from the 22nd September, 1977. No member of the Service is likely to be affected adversely by giving retrospective effect to the rules.

[No. 25011/42/77-AIS(II)]
V. K. CHERIAN, Desk Officer

सा० का० नि० 215—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1977 है।

(2) जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, ये राजपत्र में प्रकाशनार्थ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में :

(क) नियम 3 के उपनियम (2) में,—

(i) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर ली गई असाधारण छुट्टी के सिवाए सभी छुट्टी चयन श्रेणी में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाएगी।

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसी दशा में, जिसमें उसका यह समाधान हो जाए कि असाधारण छुट्टी सेवा के सदस्य के नियंत्रण से परे किसी कारण से या उच्चतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन करने के लिए ली गई थी, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी असाधारण छुट्टी इस उपनियम के अधीन वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाएगी।

(2) निम्नलिखित टिप्पण अंत: स्थापित किया जाएगा और 1 नवम्बर 1973 से अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

टिप्पण—1 नवम्बर, 1973 के पश्चात् शोध्य होने वाली वेतनवृद्धियां उस मास के जिसमें वे प्रोद्भूत होनी थीं, प्रथम दिन ही प्रोद्भूत होंगी"।

(ख) नियम 5 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(5)(क) नियम 3 में विनिर्दिष्ट काल वेतनमान से भिन्न वेतनमान में सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियां, उस वेतनमान में उसकी सेवा-काल के प्रतिनिर्देश से विनियमित की जाएंगी। पूर्ववर्ती सेवा, यदि कोई हो, वेतनवृद्धि के लिए तब गिनी जाएगी, जब वह :—

(1) किसी कादर-पद पर की सेवा हो; या

(2) उक्त वेतनमान या उच्चतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी पद (जिसमें किसी ऐसे निकाय में का, चाहे वह निगमित है या नहीं और चाहे वह पूर्णत: या सारत: सरकार के स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो, पद सम्मिलित है) पर की सेवा हो:—

परन्तु कादर-बाह्य पद पर की सेवा, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधीन पद पर की सेवा सम्मिलित है, कादर में प्रतिवर्तन पर वेतन वृद्धि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गिनी जाएगी, अर्थात्—

(क) सेवा का सदस्य उक्त वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए उस राज्य सरकार द्वारा जिसके कादर में वह है अनुमोदित किया होना चाहिए;

(ख) कादर में के उससे सभी ज्येष्ठ व्यक्ति सिवाय उनके जो उक्त नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त समझे गए हैं उक्त वेतनमान में के वेतन वाले पदों पर जिनमें प्रसुविधा अनुज्ञात की जानी है या उच्चतर पदों पर सेवा कर रहे थे और कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति उस राज्य सरकार के अधीन जिसके कादर पर वह है उक्त वेतनमान में के वेतनमान वाला कादर पद धारण कर रहा था;

(ग) सेवा उस तारीख से जिसको उसका कनिष्ठ प्रोन्नत किया जाता है गिनी जाएगी और प्रसुविधा उस अवधि तक सीमित होगी जिस तक उसने उस राज्य सरकार के अधीन जिसके कादर में वह है तब पद धारण किया होता जब उसे कादर-बाह्य पद पर नियुक्त किया गया होता।

टिप्पण:—इस परन्तुक के अधीन सेवा के किसी सदस्य का वेतन 'एक के लिए एक' की शर्तों का समाधान किए बिना उक्त वेतनमान में का कादर पद धारण करने वाले उससे कनिष्ठ द्वारा लिए गए वेतन के प्रतिनिर्देश से विनियमित किया जाएगा।

(ख) जब सेवा के किसी सदस्य को जब वह कादर-बाह्य पद जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधीन पद सम्मिलित है धारण रहा हो उस राज्य सरकार द्वारा जिसके कादर में वह है नियम 3 में विनिर्दिष्ट काल वेतन मान से ऊपर के वेतनमान वाले पद पर प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है तब प्रोफार्मा प्रोन्नति के अन्तर्गत आने वाली सेवा की अवधि उस कादर में उसके पश्चात् वर्ती प्रतिवर्तन और उक्त वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन के नियतन और वेतनवृद्धियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गिनी जाएगी अर्थात्:—

(i) संबद्ध सेवा का सदस्य सुसंगत अवधि के दौरान उक्त काल वेतनमान में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो;

(ii) उसके सभी ज्येष्ठ अधिकारियों ने (उनको छोड़कर जिन्हें अनुपयुक्त समझा गया है) उस तारीख को या उससे पूर्व जिससे उसे प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है उस वेतनमान में वेतन लेना आरम्भ कर दिया हो।

(iii) अधिकारी से ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या यदि उस अधिकारी को अदक्षता या अनुपयुक्तता के कारण या इसलिए कि वह छुट्टी पर है या सामान्य लाइन के बाहर सेवा कर रहा है या उस श्रेणी में स्वयं अपनी इच्छानुसार प्रोन्नति त्याग देता है अधिक्रमित कर दिया गया है किन्तु उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी को इस प्रकार अधिक्रमित नहीं किया गया है,) उस तारीख से इस वेतनमान में वेतन लेना आरम्भ कर दिया हो और उस पर उसकी नियुक्ति आकस्मिक न हो; और

(iv) प्रसुविधा 'एक के लिए एक' के आधार पर अनुज्ञात होनी चाहिए।

(ग) जब सेवा का कोई सदस्य किसी पूर्वतन अवसर पर उसके द्वारा धारित कादर-बाह्य पद के काल वेतनमान के समरूप काल वेतनमान में कोई कादर-बाह्य पद धारण करता है तब पश्चात्-वर्ती कादर-बाह्य पद में उसका आरम्भिक वेतन उस वेतन से जो उसने पूर्वतन अवसर पर लिया था कम नहीं होगा और वह उस अवधि की जिसके दौरान उसने उस वेतन के समतुल्य काल वेतनमान के क्रम में वेतनवृद्धि के लिए ऐसे अन्तिम और किसी पूर्वतन अवसर पर वह वेतन प्राप्त किया था, गणना करेगा। इस प्रकार की गई सेवा, कादर में उसके

प्रतिवर्तन पर, खण्ड (क) में अनुबद्ध शर्तों की सीमा तक और उनके अधीन रहते हुए, वेतन के प्रारम्भिक नियतन के लिए गिनी जाएगी ।

(ग) असाधारण छुट्टी के सिवाय चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर ली गई छुट्टी से भिन्न सभी छुट्टी और भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर की अवधि सेवा के सदस्य द्वारा, उस समय जब छुट्टी पर या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर गया था और यदि वह छुट्टी पर या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर न जाता तो उस पद को धारण किए रखता धारित पद को लागू काल वेतनमान से ऊपर के वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी

परन्तु केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसका यह समाधान हो जाए कि असाधारण छुट्टी सेवा के किसी सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य के नियंत्रण के परे के किसी कारण से या उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए ली गई थी, यह निदेश कर सकेगी कि ऐसी असाधारण छुट्टी इस खण्ड के अधीन वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाएगी।

(ङ) निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाना चाहिए और वह 1 नवम्बर, 1973 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण—1 नवम्बर, 1973 के पश्चात् होने वाली वेतनवृद्धियां उस मास के जिसमें वे प्रोद्भूत होती प्रथम दिन को प्रोद्भूत होगी।

स्पष्टीकरण ज्ञापन—तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश किया था कि सरकारी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि महिने के जिस दिन को पड़ता है उसके बजाय उसी महीने के पहली तारीख से मंजूर किया जाय। भारत सरकार ने इस सिफारिश को 1-11-73 से लागू करने की स्वीकृति वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(22-ई III-क) दिनांक 7-1-74 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (22-ई III-क) दिनांक 27-5-74 के द्वारा दी है। यह तय किया गया है कि इस फैसला को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1 1954 में भूतलक्षी प्रभाव से यानी 1-11-73 से लागू किया जाए।

इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव नहीं है ।

[सं० 20016/4/75-ए आई एस (II)-क]

G.S.R. 215.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act 1951 (61 of 1951) the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :

1. These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 1978.

(2) Unless otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 :

(a) in rule 3, in sub-rule (2), (i) after the proviso, the following provisions shall be inserted, namely :—

"Provided further that all leave except extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate shall count for increment in the Selection Grade. Provided also that the Central Government may, in any case, which it is satisfied that the extra-ordinary leave was taken for any cause beyond the control of the member of the Service or for prosecuting higher scientific or technical studies, direct that such extraordinary leave shall be counted for increment under this sub-rule.

(ii) the following note shall be inserted with effect from the 1st of November, 1973, namely :—

Note :—Increments falling due after the 1st November, 1973 shall accrue on the first day of the month in which they would have accrued".

(b) in rule 5, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) (a) The increments admissible to a member of the Service in the scale of pay other than the time-scale of pay specified in rule 3 shall be regulated with reference to the length of his service in that scale of pay. Previous service, if any, shall count for increment, if it is :—

(i) Service in a cadre post; or

(ii) service in a permanent or temporary post (including a post in a body, incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government) in the said scale or higher scale of pay :—

Provided that Service in a post outside the cadre including service in a post under the Central Government, shall count for increment on reversion to the cadre, subject to the following conditions, namely :—

(a) The member of the Service should have been approved by the Government of the State on the cadre of which he is borne, for appointment to posts in the said scale :

(B) all his seniores in the cadre, except those regarded as unfit for such appointment, were serving in posts carrying pay in the said scale in which benefit is to be allowed or in higher posts, and at least one junior was holding a cadre post under the Government of the State on the cadre of which he is borne, carrying pay in the said scale;

(C) the service shall count from the date on which his junior is promoted and the benefit shall be limited to the period during which he would have held a post under the Government of the State on the Cadre of which he is borne, had he not been appointed to a post outside the cadre.

Note :—The pay of a member of the Service under this proviso shall be regulated with reference to the pay drawn by his junior holding a cadre post in the said scale without the condition of 'one for one' being satisfied.

(b) When a member of the Service, while holding a post outside that cadre, including a post under the Central Government, has been granted proforma promotion to a post in the scale of pay above the time scale of pay specified in rule 3 by the Government of the State on the cadre of which he is borne the period of service covered by the proforma promotion shall, on his subsequent reversion to the cadre and appointment to a post in the said scale, count towards the initial fixation of pay and increments, subject to the following conditions namely :—

(i) the member of the Service concerned should have been approved by the State Government for appointment to the time-scale during the relevant period ;

(ii) all his seniors (excluding those considered unfit) should have started drawing pay in that scale on or before the date from which the proforma promotion is granted to him;

(iii) the junior next below the officer (or, if that officers has been passed over by reason of inefficiency or unsuitability or because he is on leave or serving outside the ordinary line or forgoes promotion on his own volition to that grade the officer next junior to him not so passed over) should also have started drawing pay in that scale from that date and his appointment thereto not being fortuitous; and

(iv) the benefit should be allowed on 'one for one' basis.

(c) When a member of the Service holds an ex-cadre post in a time-scale of pay identical with the time-scale of pay of an ex-cadre post held by him on an earlier occasion, his initial pay in the latter ex-cadre post shall not be less than the pay which he drew on the previous occasion and he shall count

the period during which he drew that pay on such last and on any previous occasion for increment in the stage of the scale equivalent to that pay. The Service so rendered shall, on his reversion to the cadre, count towards initial fixation of pay to the extent and subject to the conditions stipulated in clause (a).

(d) All leave except extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate and the period of deputation out of India shall count for increment in the scale of pay above the time scale of pay applicable to a post held by a member of the Service at the time he proceeded on leave or deputation out of India, and would have continued to hold that post but for his proceeding on leave or deputation out of India :—

Provided that the Central Government may, in any case in which it is satisfied that the extraordinary leave was taken by a member of the Service for any cause beyond the control of such member or for prosecuting higher scientific and technical studies, direct that such extraordinary leave shall be counted for increments under this clause.

(e) The following Note shall be inserted with effect from the 1st November, 1973, namely :—

Note :—Increments falling due after the 1st November, 1973 shall accrue on the first day of the month in which they would have accrued.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Third Central Pay Commission recommended that the increment of an employee should be granted from the 1st of the month in which it falls due instead from the actual date on which it accrue. Government of India have accepted this recommendation and has given effect to the decision from 1-11-1973 vide Ministry of Finance O. M. No. 1 (22 E-III-A)/73 dated 7-1-1974 read with their O. M. No. 1 (22 III-A)/73 dated 27-5-1974. It is proposed to incorporate this decision in the IAS (Pay) Rules and give retrospective effect to it from 1-11-1973. No Officer is likely to be adversely affected by the notification being given retrospective effect.

[No. 20018/4/75-AIS (II)-(A)]

सा०का०नि० 216.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1978 है ।

(2) जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 5 में उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(5) (क) नियम 3 में विनिर्दिष्ट काल वेतनमान से भिन्न वेतनमान में सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियाँ उस वेतनमान में उसकी सेवा काल के प्रति निर्देश से विनियमित की जाएंगी। पूर्ववर्ती सेवा, यदि कोई हो, वेतनवृद्धि के लिए तब गिनी जाएगी, जब वह:—

(i) किसी काडर पद पर की सेवा हो ; या

(ii) उक्त वेतनमान या उच्चतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी पद (जिसमें किसी ऐसे निकाय में का, चाहे वह नियमित है या न हो और चाहे वह पूर्णतः या सारतः सरकार के स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो, पद सम्मिलित है) पर की सेवा हो:—

परन्तु काडर-बाह्य पद पर की सेवा, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधीन पद पर की सेवा सम्मिलित है, काडर में प्रतिवर्तन पर वेतनवृद्धि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गिनी जाएगी, अर्थात्:—

(क) सेवा का सदस्य उक्त वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए उस राज्य सरकार द्वारा जिसके काडर में वह है, अनुमोदित किया गया होना चाहिए ।

(ख) काडर में के उससे सभी ज्येष्ठ व्यक्ति सिवाय उनके जो उक्त नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त समझे गए हैं, उक्त वेतनमान में के वेतन वाले पदों पर जिनमें प्रसुविधा अनुज्ञात की जानी है या ऐसे उच्चतर पदों पर सेवा कर रहे थे और कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति उस राज्य सरकार के अधीन, जिसके काडर पर वह है, उक्त वेतनमान में के वेतन वाला काडर पद धारण कर रहा था ।

(ग) सेवा उस तारीख से, जिसको उसका कनिष्ठ प्रोन्नत किया जाता है, गिनी जाएगी और प्रसुविधा उस अवधि तक सीमित होगी, जिस तक उसने, उस राज्य सरकार के अधीन, जिसके काडर में वह है, तब पद धारण किया होता, जब उसे काडर बाह्य पद पर नियुक्त न किया गया होता ।

टिप्पण:—इस परन्तुक के अधीन सेवा के किसी सदस्य का वेतन, एक के लिए एक की शर्तों का समाधान किए बिना उक्त वेतनमान में का काडर पद धारण करने वाले उससे कनिष्ठ द्वारा लिए गए वेतन के प्रति निर्देश से विनियमित किया जाएगा ।

(ख) जब सेवा के किसी सदस्य को जब वह काडर बाह्य पद, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधीन पद सम्मिलित है, धारण कर रहा हो उस राज्य सरकार द्वारा, जिसके काडर में वह है, नियम 3 में विनिर्दिष्ट काल वेतनमान से ऊपर के वेतनमान वाले पद पर प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है तब प्रोफार्मा प्रोन्नति के अन्तर्गत आने वाली सेवा की अवधि उस काडर में उसके पश्चात्वर्ती प्रतिवर्तन और उक्त वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति होने पर, प्रारम्भिक वेतन के नियतन और वेतनवृद्धियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गिनी जाएगी, अर्थात्:—

(i) संबद्ध सेवा का सदस्य सुसंगत अवधि के दौरान उक्त काल वेतनमान में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो ;

(ii) उसके सभी ज्येष्ठ अधिकारियों ने (उनको छोड़कर जिन्हें अनुपयुक्त समझा गया है), उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको उसे प्रोफार्मा प्रोन्नति का दिया जाना ईप्सित है, सुपर काल वेतनमान में वेतन लेना आरम्भ कर दिया हो ;

(iii) अधिकारी से ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या यदि उस अधिकारी को, अवज्ञता या अनुपयुक्तता के कारण या इसलिए कि वह छुट्टी पर है या सामान्य लाइन के बाहर सेवा कर रहा है, या उस श्रेणी में वह अपनी इच्छानुसार प्रोन्नति त्याग देता है, अधिक्रमित कर दिया गया है किन्तु उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी को इस प्रकार अधिक्रमित नहीं किया गया है), उस तारीख से उस वेतनमान में वेतन लेना आरम्भ कर दिया हो और उस पर उसकी नियुक्ति आकस्मिक न हो ; और

(iv) प्रसुविधा 'एक के लिए एक' के आधार पर अनुज्ञात होनी चाहिए ।

(ग) जब सेवा का कोई सदस्य, किसी पूर्वतन अवसर पर उसके द्वारा धारित काडर-बाह्य पद के काल वेतन के समरूप काल वेतन के

वेतनमान में कोई काडर, बाह्य पद धारण करता है, तब पश्चातवर्ती काडर-बाह्य पद में उसका आरम्भिक वेतन उस वेतन से जो उसने पूर्वतन अवसर पर लिया था, कम नहीं होगा और यह उस अवधि को, जिसके दौरान उसने उस वेतन के समतुल्य काल वेतनमान के क्रम में वेतन वृद्धि के लिए ऐसे अन्तिम और किसी पूर्वतन अवसर पर वह वेतन प्राप्त किया था, गणना करेगा। इस प्रकार की गई सेवा, काडर में उसके प्रतिवर्तन पर, खण्ड (क) में अनुबद्ध शर्तों की सीमा तक और उनके अधीन रहते हुए, वेतन के आरम्भिक नियतन के लिए गिनी जाएगी।

(ग) असाधारण छुट्टी के सिवाए चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर ली गई छुट्टी से भिन्न सभी छुट्टी और भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर की अवधि सेवा के सदस्य द्वारा, उस समय जब वह छुट्टी पर या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गया था, और यदि वह छुट्टी पर या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर न जाता तो उस पद का धारण किए रखता धारित पद को लागू काल वेतन मान से ऊपर के वेतनमान से वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसका यह समाधान हो जाए कि असाधारण छुट्टी सेवा के किसी सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य के नियंत्रण के परे के किसी कारण से या उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए ली गई थी, यह निदेश कर सकेगी कि ऐसी असाधारण छुट्टी इस खण्ड के अधीन वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाएगी।

(घ) निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए और वह 1 नवम्बर, 1973 से अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण :—1 नवम्बर, 1973 के पश्चात् होने वाली वेतनवृद्धियां उस मास के जिसमें वे प्रोद्भूत हो तो, प्रथम दिन की प्रोद्भूत होगी।

स्पष्टीकारक ज्ञापन :—तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश किया था कि सरकारी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि महीने के जिस दिन को पड़ता है उसके बजाय उसी महीने के पहली तारीख से मंजूर किया जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश को 1-11-1973 से लागू करने की स्वीकृति वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(22-ई-III-क) 73 दिनांक 7-1-1974 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (22-ई-III-क) दिनांक 27-5-74 के द्वारा दी है। यह तय किया गया है कि इस फैसले को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन नियम) 1954 में भूतलक्षी प्रभाव से यानी 1-11-73 से लागू किया जाय।

इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भव नहीं है।"

[सं० 20018/4/75-ए० आई० एस० (II)-ख)]

G.S.R. 216.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States, concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 1978.

Unless otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"5 (a) The increments admissible to a member of the Service in the scale of pay other than the time-scale of pay specified in Rule 3 shall be regulated with reference to the length of his service in that scale of pay. Previous Service, if any, shall count for increment, if it is :—

(i) Service in a cadre post ; or

(ii) Service in a permanent or temporary post (including a post in a body, incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government) in the said scale or higher scale of pay :

Provided that service in a post outside the cadre, including service in a post under the Central Government shall, count for increment on reversion to the cadre, subject to the following conditions, namely :—

(a) the member of the Service should have been approved by the Government of the State on the cadre of which he is borne, for appointment to posts in the said scale ;

(b) all his seniors in the cadre, except those regarded as unfit for such appointment, were serving in posts carrying pay in the said scale in which benefit is to be allowed or in higher posts, and at least one junior was holding a cadre post under the Government of the State, on the cadre of which he is borne, carrying pay in the said scale ;

(c) the service shall count from the date on which his junior is promoted and the benefit shall be limited to the period during which he would have held a post under the Government of the State on the cadre of which he is borne, had he not been appointed to a post outside the cadre.

Note :—The pay of a member of the Service under this proviso shall be regulated with reference to the pay drawn by his junior holding a cadre post in the said scale without the condition of 'one for one' being satisfied.

(b) When a member of the Service, while holding a post outside the cadre, including a post under the Central Government, has been granted proforma promotion to a post in the scale of pay above the time-scale of pay specified in Rule 3 by the Government of the State on the cadre of which he is borne the period of service covered by the proforma promotion shall, on his subsequent reversion to the Cadre and appointment to a post in said scale, count towards initial fixatio nof pay and increments, subject to the following conditions namely :—

(i) the member of the service concerned should have been approved by the State Government for appointment to the said scale during the relevant period ;

(ii) all his seniors (excluding those considered Unfit) should have started drawing pay in the super time scale on or before the date from which the proforma promotion is sought to be granted to him ;

(iii) the junior next below the officer (or, if that officer has been passed over by reason of inefficiency or unsuitability or because he is on leave or Serving outside the ordinary line or forgoes promotion or his own volition to that grade, the officer next junior to him not so passed over) should also have stated drawing pay in that scale from that date and his appointment thereto not being fortuitous ; and

(iv) the benefit should be allowed on 'one for one' basis.

(c) When a member of he Service holds an ex-cadre post in a scale of pay identical with the scale of pay of an ex-cadre post held by him on an earlier occasion, his initial pay in the latter ex-cadre post shall not be less than the pay which he drew on the previous occasion and he shall count the period during which he drew that pay on such last and on any previous occasion for increment in the stage of the scale equivalent to that pay. The service so rendered shall, on his reversion to the cadre, count towards

initial fixation of pay to the extent and subject to the conditions stipulated in clause (a).

(d) All leave except extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate and the period of deputation out of India shall count for increment in the scale of pay above the time-scale of pay applicable to a post held by a member of the service at the time he proceeded on leave or deputation out of India and would have continued to hold that post but for his proceeding on leave or deputation out of India :

Provided that the Central Government may, in any case in which it is satisfied that the extraordinary leave was taken by any member of the service for any cause beyond the control of such member of the Service or for prosecuting higher scientific and technical studies, direct that such extraordinary leave shall be counted for increments under this clause.

(e) The following Note shall be inserted with effect from the 1st November, 1973, namely :—

Note :—Increments falling due after the 1st November 1973 shall accrue on the first day of the month in which they would have accrued.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Third Central Pay Commission recommended that the increment of an employee should be granted from the 1st of the month in which it falls due instead from the actual date on which it accrue. Government of India have accepted this recommendation and has given effect to the decision from 1-11-73, vide Ministry of Finance O.M. No. 1(22 E-III-A)/73 dated 7-1-1974 read with their O.M. No. 1 (22 E-III-A)/73 dated 27-5-74. It is proposed to incorporate this decision in the IPS (Pay) Rules and give retrospective effect to it from 1-11-73. No officer is likely to be adversely affected by this notification being given retrospective effect."

[No. 20018/4/75-AIS (II) (B)]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 217.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन पहला संशोधन) नियम 1978 है।

(2) ये जनवरी, 1973 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में,

(I) नियम 5 के उपनियम (1) में—

(क) खण्ड (ii) में 'किसी काडर पर में' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"यथास्थिति, भारतीय पुलिस सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर या अनुसूची 2 के अनुभाग 1 या अनुभाग 2 के उपबन्धों के अनुसार उसका वेतन नियत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर;

(ख) द्वितीय परन्तुक के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) प्रोन्नत अधिकारी द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में वेतनवृद्धि लेने के लिए एक वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी भी सवर्ग पद में की गई सेवा की विच्छिन्न अवधियां, जो कि भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार हैं, हिसाब में ली जाएंगी—

(ii) अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् —

'अनुसूची-2

(नियम 4 और 5 देखिए)

भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति पर प्रोन्नत अधिकारी और काडर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों का वेतन नियत करने के सिद्धान्त—

इस अनुसूची में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) 'वास्तविक वेतन' पद से चाहे निम्नतर वेतनमान में या उच्चतर वेतनमान में, वह वेतन अभिप्रेत है जिसका कि राज्य पुलिस सेवा का अधिकारी उस सेवा के काडर में अपने अधिष्ठायी स्थान के आधार पर हकदार है, और इसके अन्तर्गत 1-1-1973 को लागू दरों पर 1 जनवरी, 1973 को और उसके पश्चात् महंगाई भत्ता भी आता है, यदि राज्य सरकार ने उक्त तारीख को राज्य पुलिस सेवा को लागू वेतनमानों को इस प्रकार से पुनरीक्षित नहीं किया है कि उनके अन्तर्गत महंगाई भत्ते की पूरी रकम या उसका कोई भाग सम्मिलित किया जाए;

(ii) 'प्रकल्पित वेतन' पद से वह वेतन अभिप्रेत है, और यदि राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 1973 को राज्य पुलिस सेवा को लागू वेतनमानों को इस प्रकार से पुनरीक्षित न किया हो कि उनके अन्तर्गत महंगाई भत्ते की पूरी रकम या उसका कोई भाग सम्मिलित किया जाए तो, उसके अन्तर्गत 1-1-73 को लागू दरों पर उक्त तारीख के पश्चात् वह महंगाई भत्ता भी है जो उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाला या उसमें पुष्ट किया गया राज्य पुलिस सेवा का अधिकारी अपनी सेवा के निम्नतर वेतनमान में (जिसके अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान नहीं है), उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य न करने या उसमें न होने की दशा में लेता।

(iii) "उच्चतर वेतनमान" पद से अभिप्रेत है। 1 जनवरी, 1973 को यथा-प्रवृत्त राज्य पुलिस सेवा के लिए विहित 'निम्नतर वेतनमान' से उच्चतर वेतनमान;

(iv) 'निम्नतर वेतनमान' पद से अभिप्रेत है 1 जनवरी, 1973 को यथा प्रवृत्त राज्य पुलिस सेवा के लिए विहित सामान्य या निम्नतम वेतनमान;

अनुभाग 1 :—नियम 4(3) के अन्तर्गत आने वाले प्रोन्नत अधिकारियों के आरम्भिक वेतनकाल का नियतन।

(1) प्रोन्नत अधिकारी का आरम्भिक वेतन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में उस क्रम पर नियत किया जाएगा जो, यथास्थिति, निम्नतर वेतनमान में उसके वास्तविक वेतन या निम्नतर वेतनमान में उसके प्रकल्पित वेतन के, राज्य पुलिस सेवा में प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा

के लिए भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे एक वेतनवृद्धि की दर पर उसमे वृद्धि करने के पश्चात् समतुल्य हो। पारिणामिक वृद्धि राज्य पुलिस सेवा मे उसके वेतन के न्यूनतम 150 रुपए और अधिकतम 200 रुपए तक सीमित होगी :

परन्तु —

(i) जहा न्यूनतम या अधिकतम वृद्धि को जोड़ने के पश्चात् निकलने वाली रकम भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे के किसी प्रक्रम के समतुल्य है, वहा आरम्भिक वेतन उस प्रक्रम पर नियत किया जाएगा, और जहां वह भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे के प्रक्रम के समतुल्य नहीं है वहां आरम्भिक वेतन अगले उच्चतर प्रक्रम पर नियत किया जाएगा, और

(ii) इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, राज्य पुलिस सेवा के अन्तर्गत किसी भूतपूर्व राज्य मे जिसका विलय अब सम्बद्ध राज्य मे हो चुका है, ऐसी सेवा आती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बद्ध राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य पुलिस सेवा मे सेवा के समकक्ष मानी जा सकती है।

स्पष्टीकरण—ऐसे प्रोन्नत अधिकारी की दशा मे जिसका राज्य पुलिस सेवा के निम्नतर वेतनमान के मे वास्तविक वेतन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक है, वेतनवृद्धि की दरे उन दरो के बराबर होगी जो भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे वास्तविक वेतन के समतुल्य प्रक्रम पर अनुज्ञेय हैं, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम नही है तो उससे ठीक नीचे के प्रक्रम पर अनुज्ञेय हैं।

(2) ऐसे प्रोन्नत अधिकारी को जो राज्य पुलिस सेवा के उच्चतर वेतनमान मे अधिष्ठायी है, आरम्भिक वेतन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे उस प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो उच्चतर वेतनमान मे उसके वास्तविक वेतन से ठीक ऊपर का है

परन्तु ऐसी दशा मे जहां भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में का वेतन, जो खण्ड (1) के अनुसार संगणित किया गया हो, इस खण्ड के अधीन अनुज्ञेय वेतन से उच्चतर है तो, प्रोन्नत अधिकारी ऐसे उच्चतर वेतन का हकदार होगा।

(3) प्रोन्नत अधिकारी, जो भारतीय पुलिस सेवा मे उसकी नियुक्ति के समय राज्य पुलिस सेवा के उच्चतर वेतनमान मे स्थानापन्न रूप मे कार्य कर रहा था और जिसका भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में आरम्भिक वेतन खण्ड (1) के अनुसार नियत किया गया है, यदि उच्चतर वेतनमान में उसका स्थानापन्न वेतन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे इस प्रकार नियत किए गए उसके आरम्भिक वेतन से अधिक है तो वह उस अन्तर के बराबर वैयक्तिक वेतन का हकदार होगा परन्तु वह तब जब राज्य सरकार प्रमाणित करे कि भारतीय पुलिस सेवा मे नियुक्ति न होने की दशा मे प्रोन्नत अधिकारी उच्चतर वेतनमान मे स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता। वैयक्तिक वेतन उसकी भावी वेतनवृद्धियो मे और उसके वेतनमान की वृद्धियो मे, यदि कोई हो, जिनमे विशेष वेतन अतिरिक्त वेतन और अन्य रूप मे वेतन सम्मिलित है, आमेलित कर लिया जाएगा।

(4) ऐसे प्रोन्नत अधिकारी की दशा मे जो भारतीय पुलिस सेवा मे परिवीक्षाधीन के रूप मे नियुक्त किया जाता है, राज्य पुलिस सेवा मे, जिसमे उसका धारणाधिकार है, उसके वास्तविक वेतन मे कोई वृद्धि होने पर उस सेवा के निम्नतर या उच्चतर वेतनमान मे वेतनवृद्धि के परिणामस्वरूप या राज्य पुलिस सेवा के उच्चतर वेतनमान मे पुष्टि की परिस्थिति मे अधिकारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान, भारतीय पुलिस सेवा मे वरिष्ठ वेतनमान मे अपने वेतनमान को इस नियम मे उपवर्णित सिद्धान्तो के अनुसार, राज्य पुलिस सेवा मे अपने वर्द्धित वेतनमान के आधार पर पुनर्गणना कराने का हकदार होगा मानो भारतीय पुलिस सेवा में उसकी प्रोन्नति ऐसी वृद्धि की तारीख से प्रभावी हुई थी।

(5) यदि भारतीय पुलिस सेवा मे परिवीक्षाधीन के रूप मे नियत कोई प्रोन्नत अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा मे उसकी प्रोन्नति की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उस राज्य पुलिस सेवा के, जिसमे उसका धारणाधिकार है उच्चतर वेतनमान मे पुष्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार राज्य पुलिस सेवा के उसके वास्तविक वेतन मे अभिवृद्धि हो जाती है तो भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे उसके वेतन को इस नियम मे उपवर्णित सिद्धान्तो के अनुसार राज्य पुलिस सेवा मे उसके वर्द्धित वेतन के आधार पर, पुनः संगणित किया जाएगा मानो भारतीय पुलिस सेवा मे उसकी प्रोन्नति ऐसी अभिवृद्धि की तारीख से हुई थी।

(6) जहां कोई प्रोन्नत अधिकारी जो भारतीय पुलिस सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख को राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन या अन्यत्र सेवा मे काडर पद से भिन्न कोई पद धारण कर रहा था या निरन्तर धारण कर रहा है और वह पद —

(क) काडर पद के वेतनमान के समतुल्य वेतनमान वाला है अथवा

(ख) काडर पद के समतुल्य हैसियत और उत्तरदायित्व वाला है, और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की, उक्त अधिकारी को काडर पद से भिन्न पद पर उसकी नियुक्ति के तीन मास के भीतर अथवा उस तारीख के तीन मास के भीतर जिसको उससे अगला कनिष्ठ चयन सूची अधिकारी काडर पद पर नियुक्त किया जाता है, दोनो मे से जो भी तारीख बाद की हो, यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करती है कि काडर पद से भिन्न पद पर :—

(i) खण्ड (क) के अधीन पद की बाबत एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए और, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 2 वर्ष से अनाधिक की और अवधि के लिए, अथवा

(ii) खण्ड (ख) के अधीन पद की बाबत, तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए,

यदि उसकी नियुक्ति न हुई होती तो वह भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन काडर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता तो, भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान मे खण्ड (1) के अनुसरण मे नियत किया गया उसका आरम्भिक वेतन उस वेतन से भिन्न प्रक्रम पर नियत नही किया जाएगा जो उसने उक्त गैर काडर पद पर लिया था या ले रहा है —

परन्तु एक बार मे जितने अधिकारियो की बाबत ऐसे प्रमाणपत्र प्रवृत्त मान होगे, उनकी सख्या भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955, के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय चयन सूची को न्यूनतम सख्या के आधे से अधिक नही होगी तथा उसी प्रक्रम के अनुसार होगी जिस क्रम मे ऐसे अधिकारियो के नाम चयन सूची मे हैं —

परन्तु यह और ऐसा प्रमाणपत्र केवल तभी दिया जाएगा यदि गैर काडर पद पर नियुक्त किए गए चयन सूची मे के प्रत्येक ऐसे ज्येष्ठ अधिकारी के स्थान पर, जिसकी बाबत प्रमाणपत्र दिया जाता है, भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन ज्येष्ठ पद में एक-एक कनिष्ठ चयन सूची अधिकारी स्थानापन्न रूप से कार्य करता है;

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियो की सख्या जिनकी बाबत प्रमाणपत्र दिया जाता है भारतीय पुलिस सेवा (काडर सख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची के अधीन मजूर की गई प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित सख्या से राज्य सरकार के नियत्रण के अधीन गैर काडर पदो का धारण करने वाले काडर अधिकारियो की सख्या जितनी कम है उतनी संख्या में पदो से अधिक नही होगी।

(7) प्रोन्नत अधिकारी का आधारी वेतन किसी भी दशा में ज्येष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से कम पर नियत नहीं किया जाएगा।

(8) इस अनुभाग के किसी खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय पुलिस सेवा वेतनमान में प्रोन्नति अधिकारी का आधारी वेतन किसी भी समय उस आधार वेतन से अधिक नहीं होगा जो उसने सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के रूप में उस तारीख को भारतीय पुलिस सेवा वेतनमान में लिया होता, यदि वह उस तारीख को, जिस तारीख को, वह राज्य पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया होता।

(9) इस अनुभाग में किसी खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, प्रोन्नत अधिकारी का वेतन, जिसका वेतन भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) ..... संशोधन नियम, 1978 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, नियत किया गया है, भारतीय पुलिस सेवा के पुनरीक्षण ज्येष्ठ वेतनमान में इस अनुभाग के अधीन उससे निम्नतर प्रक्रम पर, जितना कि पहले नियम किया गया है, नियत नहीं किया जाएगा।

दृष्टांत

प्रोन्नत अधिकारी का इस अनुभाग के खंड (1) के अधीन वेतन नियत करने में अनुसरित की जाने वाली पद्धति नीचे दी गई है :—

I. पहले प्रोन्नत अधिकारी की बाबत निम्नलिखित तथ्य लिखिए :—

(क) राज्य पुलिस सेवा में अधिकारी का, यथास्थिति, वास्तविक वेतन या उस वेतन सेवा में प्रकल्पित वेतन ;

(ख) राज्य पुलिस सेवा में सेवा के पूरे वर्ष, और

(ग) भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में वेतनवृद्धियों की संख्या, जिनकी गणना राज्य पुलिस सेवा के प्रति तीन सेवा वर्षों के लिए एक वेतन वृद्धि की दर से की गई हो ।

II. भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में आरम्भिक वेतन नियत करने के लिए जानकारी को निम्नलिखित रूप में सारणीबद्ध कीजिए :—

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
(क) राज्य पुलिस सेवा में वेतन	690	1190	1000	1350	1220	1125
(ख) राज्य पुलिस सेवा में सेवा के पूरे वर्ष . . .	7	11	10	22	19	8
(ग) वेतनवृद्धियों की संख्या	2	3	3	7	6	2
(घ) वेतन वृद्धियों की रकम	100	150	150	350	300	100
(ङ) (क) और (घ) को जोड़कर निकला वेतन . . .	790	1340	1150	1700	1520	1225
(च) वह प्रक्रम जिस पर वेतन नियत किया जाना चाहिए . .	1200	1350	1200	1700	1550	1250
(छ) पारिणामिक वृद्धि	510	160	200	350	330	125
(ज) वृद्धि की वास्तविक रकम जो विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम तक सीमित होगी	200	160	200	200	200	150
(झ) (क) और (ज) को जोड़कर निकला वेतन . . .	690	1350	1200	1550	1420	1275
(ञ) वह प्रक्रम जिस पर वेतन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में नियत किया जाना चाहिए	1200	1350	1200	1550	1450	1300

(क) एक ऐसा मामला है जिसमें पारिणामिक वृद्धि 200 रुपए को अधिकतम वृद्धि से हो जाती है और राज्य पुलिस सेवा में वेतन तथा 200 रुपये का योग 1200 रुपए से कम बैठता है । इसलिए वेतन ज्येष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया गया है ।

(ख) ऐसा मामला है जिसमें परिमाणिक वृद्धि अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि के भीतर है ।

(ग) ऐसा मामला है जिसमें पारिणामिक वृद्धि 200 रुपए है और नियत किया गया वेतन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेनमान में एक प्रक्रम के समतुल्य है । अतः वेतन उसी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा, न कि उससे उच्चतर प्रक्रम पर ।

(घ) इस बात का दृष्टांत है कि जब पारिणामिक वृद्धि 200 रुपए की अधिकतम वृद्धि से अधिक हो जाए तब वेतन को भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के उस प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो पुलिस सेवा में के वेतन और 200 रुपए के योग के बराबर हो ।

(ङ) ऐसा मामला है जिनमें 200 रुपए की अधिकतम वृद्धि के परिणामस्वरूप ऐसी रकम निकलती है जो भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में कोई भी प्रक्रम नहीं है । ऐसी दशा में वेतन अगले उच्चतर प्रक्रम पर नियत किया गया है । यह मामला इसका भी दृष्टांत है कि जब राज्य पुलिस सेवा के निम्नतर वेतनमान में प्रोन्नत अधिकारों का वेतन 1200 रुपए से अधिक हो जाए तब वेतनवृद्धियों को किस प्रकार संगणना की जाएगी ।

(च) ऐसा मामला है जिसमें पारिणामिक वृद्धि 150 रुपए की न्यूनतम वृद्धि से कम है । ऐसी दशा में वेतन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के उस प्रक्रम पर नियत किया जाता है जो राज्य पुलिस सेवा में के वेतन तथा 150 रुपए के योग के बराबर हो । परन्तु चूंकि यह रकम किसी प्रक्रम के समतुल्य नहीं है अत. वेतन अगले उच्चतर प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

अनुभाग 2—नियम 4(4) के अन्तर्गत आने वाले प्रोन्नत अधिकारियों के आरम्भिक वेतन का नियतन

(1) ऐसे प्रान्नत अधिकारी की दशा में, जिसने सेवा के अपनी नियुक्ति से पूर्व पहले ही किसी काडर पद में स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, और ऐसी स्थानापन्न सेवा को केन्द्रीय सरकार ने और

जहां आवश्यक है वहां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार की गई सेवा मान लिया है, वहां उसका वेतन उस प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो उस वेतन से कम नहीं होगा जो उसने ऐसे किसी पद में अन्तिम बार स्थानापन्न रूप में कार्य करते समय भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में लिया था।

(2) ऐसे प्रोन्नत अधिकारी की दशा में जो भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया जाता है, राज्य पुलिस सेवा में, जिसमें कि उसका धारणाधिकार है, उसके वास्तविक वेतन में कोई वृद्धि होने पर उस सेवा के निम्नतर या उच्चतर वेतनमान में वेतनवृद्धि के परिणामस्वरूप या उच्चतर वेतनमान में पुष्टि की रकम में, अधिकारी, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ वेतनमान में अपने वेतनमान को अनुभाग 1 में उपवर्णित सिद्धांतों के अनुसार राज्य पुलिस सेवा में अपने वर्धित वेतन के आधार पर पुनर्गणना कराने का हकदार होगा मानो भारतीय पुलिस सेवा में उसकी प्रोन्नति ऐसी वृद्धि की तारीख से प्रभावी हुई थी।

(3) यदि भारतीय पुलिस के सेवा में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त कोई प्रोन्नत अधिकारी, उस राज्य पुलिस सेवा के, जिसमें उसका धारणाधिकार है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उच्चतर वेतनमान में पुष्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार राज्य पुलिस सेवा के उसके वास्तविक वेतन में अभिवृद्धि हो जाती है तो भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में उसका वेतन अनुभाग 1 में उपवर्णित सिद्धांतों के अनुसार, राज्य पुलिस सेवा में उसके वर्धित वेतन के आधार पर, पुनः संगणित किया जाएगा मानो भारतीय पुलिस सेवा में उसकी प्रोन्नति ऐसी अभिवृद्धि की तारीख से हुई थी।

अनुभाग : 3 : नियम 4(5) के अन्तर्गत आने वाले राज्य पुलिस सेवा के सदस्य के आरम्भिक वेतन का नियतन

(1) काडर पदों में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का आरम्भिक वेतन अनुभाग 1 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार नियत किया जाएगा :

परन्तु यदि राज्य पुलिस सेवा के किसी ऐसे अधिकारी ने यथास्थिति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी काडर पद में, स्थापन्न रूप में पहले ही कार्य किया था, तो इस अनुभाग के अधीन उसका वेतन उस प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो उस वेतन से कम नहीं होगा जो उसने ऐसे किसी काडर पद में अन्तिम बार स्थानापन्न रूप से कार्य करते समय भारतीय पुलिस सेवा ज्येष्ठ वेतनमान में लिया था पर वह इस शर्त के अधीन होगा कि काडर पद में पूर्वतर स्थानापन्न रूप से कार्य भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार है।

टिप्पण :—राज्य पुलिस सेवा के उस सदस्य की दशा में, जो 1 जनवरी, 1973 से पूर्व किसी तारीख से काडर पद में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा है, भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में उसका वेतन अनुभाग 1 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार उसी प्रकार पुनः संगणित किया जाएगा मानो वह 1 जनवरी, 1973 से पूर्व काडर पद में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था।

(2) राज्य पुलिस सेवा के निम्नतर या उच्चतर वेतनमान में किसी वेतनवृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य पुलिस सेवा में अपने अधिष्ठायी वेतन में वृद्धि हो जाने पर, राज्य पुलिस सेवा के सदस्य को, जब वह किसी काडर पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, इस बात का हक होगा कि वह राज्य पुलिस सेवा में अपने वर्धित वेतन के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में अपना वेतन अनुभाग 1 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार उसी प्रकार पुनः संगणित करा ले मानो वह काडर पद में ऐसी वेतन वृद्धि की तारीख से स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था।

(3) यदि राज्य पुलिस सेवा का कोई सदस्य, जो किसी काडर पद में स्थानापन्न हैसियत में कार्य कर रहे है, राज्य पुलिस सेवा की उच्चतर श्रेणी में अधिष्ठायी रूप से प्रोन्नत किया जाता है तो भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में उसका वेतन अनुभाग 1 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार उसी प्रकार पुनः नियत किया जाएगा मानो वह ऐसे काडर पद में ऐसी वेतनवृद्धि की तारीख से स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था।

(4) भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में वेतन वृद्धियों राज्य पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी को जो किसी काडर पद पर स्थानापन्न हैसियत में कार्य कर रहा है, पूरे एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकने पर उस वेतनमान के किसी प्रक्रम पर मंजूर की जाएगी :

पर इस खंड के अधीन एक वर्ष की सेवा को संगणना करने के प्रयोजनों के लिए—

(i) वेतन की किसी विशिष्ट दर पर, जो कि भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के उपबन्धों के अनुसार है, स्थानापन्न रूप से की गई सेवा की विभिन्न कालावधियां हिसाब में ली जाएंगी।

(ii) काडर पदों पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के दौरान ली गई छुट्टी, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर से भिन्न असाधारण छुट्टि के सिवाय, वेतनवधियों के लिए हिसाब में ली जाएगी, यदि छुट्टी के अवसान पर वह अधिकारी उसी पद पर उसी वेतन दर पर वापस आ जाता है और राज्य सरकार यह प्रमाणित करती है कि यदि वह अधिकारी छुट्टी पर न गया होता तो वह उसी या किसी अन्य काडर पर ना रहता। किसी ऐसे मामले में जिसमें केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि चिकित्सा प्रमाणपत्र पर ली गई असाधारण छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी किसी ऐसे कारण से ली गई थी जो सम्बद्ध अधिकारी के नियंत्रण से परे था या उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए ली गई थी तो केन्द्रीय सरकार यह निदेश कर सकती है कि चिकित्सा प्रमाणपत्र पर ली गई असाधारण छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी वेतनवृद्धि के लिए गणना में ली जाएगी।

(iii) अनुभाग 1 के खंड (6) के अधीन किसी विशिष्ट दर पर सेवा की कोई अवधि हिसाब में ली जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य पुलिस सेवा के उस सदस्य की दशा में जो काडर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है, भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में तब तक कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी जब तक वह राज्य पुलिस सेवा में के और भारतीय पुलिस सेवा में के पदों पर कुल मिलाकर आठ वर्ष की सेवावधि पूरी नहीं कर लेता।

(5) राज्य पुलिस सेवा के उस सदस्य का वेतन जो काडर पद में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा है और ऐसा स्थानापन्न कार्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा और जहां आवश्यक है वहां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम (9) के उपबन्धों के अनुसार नहीं माना गया हो, राज्य पुलिस सेवा के वेतनमान में ऐसे किन्हीं उपान्तरणों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत किए जाएं, विनियमित किया जाएगा।

(6) इस अनुभाग के किसी खंड में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अनुभाग के किसी खण्ड या किन्हीं खण्डों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होगी, वहां वह, आदेश द्वारा, यथास्थिति, उस खंड या किन्हीं खण्डों की अपेक्षाओं से, ऐसी सीमा तक और ऐसे अपवादों

और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उस मामले को न्यायोचित और साम्यापूर्ण रीति से निपटारे के लिए आवश्यक समझती है, अधियुक्ति प्रदान कर सकती है या उनसे छूट दे सकती है ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 1973 वर्ग–2, वर्ग–3 और वर्ग–4 कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए जारी किए थे । उनको 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त कराया गया था। अब सरकार ने वर्ग–1 सेवा/पद और अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानो की बाबत तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें, कुछ उपान्तरणों के साथ, मुख्यतः स्वीकार कर ली है, और यह विनिश्चित किया है कि वेतन के पुनरीक्षण के बारे में या उन सभी पदों के वेतनमानों के, जो 3,000 रुपए (नियत) या उपर तक उच्च कोटि के कर दिए हैं, सिवाय वर्ग 1 सेवा/पद और अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानो के पुनरीक्षण के प्रवृत्त होने की तारीख वही होगी जो वर्ग–2 से वर्ग–4 के कर्मचारियों के लिए है, अर्थात् 1 जनवरी, 1973 । अत. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 तदनुसार संशोधित किए जा रहे है

इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं० 11030/3/78–अ०भा०से० (ii)]
के० एल० नेगी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th January, 1978

G.S.R. 217.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services, Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Goverments of the States concerned, hereby makes he following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) First Amendment Rules, 1978.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954,—

(I) in sub-rule (1) of rule 5 (a) in clause (ii), for the words "to a cadre" post, the following shall be substituted namely :—

"to the Indian Police Service or on completion of one year's service from the date his pay has been fixed in accordance with the provisions of Section I or Section II of Schedule II, as the case may be."

(b) for clause (i) of the second proviso, the following clause shall be substituted namely :—

"(i) for the purpose of calculating one year's service of drawal of increment in the senior time scale of the Indian Police Service by a promoted officer, broken periods of service rendered in any Cadre post in accordance with rule 9 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 shall be taken into account ;"

(2) for Schedule II, the following schedule shall be substituted, namely :—

'SCHEDULE II'

(See rules 4 and 5)

PRINCIPLES OF PAY FIXATION OF PROMOTED OFFICERS ON APPOINTMENT TO THE INDIAN POLICE SERVICE AND OF MEMBERS OF THE STATE POLICE SERVICE APPOINTED TO OFFICIATE IN CADRE POSTS

In this Schedule unless the context otherwise requires, the term—

(i) "actual pay means the pay whether in the lower scale or in the higher scale, to which a member of the State Police Service is entitled by virtue of his substantive position in the cadre of that service, and includes, on and after the 1st day of January, 1973, dearness allowance at the rates in force as on 1-1-1973 if the State Government has not revised the scales of pay applicable to the State Police Service on the said date so as to include in the pay scale a portion or entire amount of dearness allowance.

(ii) "assumed pay" means the pay and if the State Government had not revised the scales of pay applicable to the State Police Service on the 1st day of Janpary, 1973 so as to include in the pay scale a portion or the entire amount of the dearness allowance, includes, after the said date, the dearness allowance at the rates in force as on 1-1-1973 which a member of the State Police Service, officiating or confirmed in a higher scale would have drawn in the lower scale (which does not include higher scale) of his service, had he not been officiating or confiermed in the higher scale.

(iii) "higher scale" means any scale of pay higher than the 'lower scale' prescribed for the State Police Service and in force on the 1st day of January, 1973 ;

(iv) "lower scale" means the ordinary or the lowest scale of pay prescribed for the State Police Service and in force on the 1st day of January, 1973 ;

SECTION I—Fixation of Initial pay of Promoted Officers Falling Under Rule 4 (3)

(1) The initial pay of a promoted officer shall be fixed at the stage of the senior time-scale of the Indian Police Service equal to his actual pay in the lower scale or his assumed pay in the lower scale, as the case may be, increased at the rate of one increment in the senior time scale of the Indian Police Service for every three years of service in the State Police Service. The resultant increase shall be subject to a minimum of Rs. 150 and a maximum of Rs. 200 over his pay in the State Police Service :

Provided that

(i) where, however, the amount arrived at after the addition of such minimum or maximum increase corresponds to a stage in the senior time scale of the Indian Police Service, the initial pay shall be fixed at that stage ; and where it does not correspond to a stage in the senior time scale of the Indian Police Service the initial pay shall be fixed at the next higher stage of that scale ; and

(ii) for the purpose of this Clause, service in the State Police Service shall include such service in a former State, now merged in the State Concerned, as may be equated to service in the State Police Service by by the Central Government in consultation with the State Government concerned.

Explanation :—

In the case of a promoted officer whose actual pay in the lower scale of the State Police Service is equal to or above the minimum of the senior time scale of the Indian Police Service, the rates of increment shall be equal to the rates admissible in the senior time scale of the Indian Police Service at the stage to which the actual pay corresponds or, if there is no such stage, the next lower stage.

(2) The initial pay of a promoted officer who is substantive in the higher scale of the State Police Service shall be fixed at the stage of the senior time scale of the Indian Police Service next above his actual pay in the higher scale.

Provided that in a case where the pay in the senior time scale of the Indian Police Service calculated in accordance with clause (1) is higher than that admissible under this clause, the promoted officer shall be entitled to such higher pay.

(3) A promoted officer who, at the time of his appointment to the Indian Police Service was officiating in the higher scale of the State Police Service and whose initial pay in the senior time scale of the Indian Police Service is fixed in accordance with clause (1) shall, in case his officiating pay in the higher scale in higher than the initial pay so fixed in the senior time scale of the Indian Police Service, be entitled to a personal pay equal to the difference provided that the State Government certifies that the promoted officer would have continued to officiate in the higher scale but for his appointment to the Indian Police Service. The personal pay shall be absorbed in future increments and increases in his pay, if any, including special pay, additional pay and any other form of pay.

(4) In the case of a promoted officer appointed to the Indian Police Service on probation, on any enhancement of his actual pay in the State Police Service in which he holds a lien as a result of an increment in the lower scale or the higher scale of that service, or in the event of confirmation in the higher scale of the State Police Service the officer shall during the period of probation, be entitled to have his pay in the senior time scale of the Indian Police Service recalculated in accordance with the principles laid down in this Section on the basis of his enhanced pay in the Indian State Police Service, as if he was promoted to the Indian Police Service with effect from the date of such enhancement.

(5) If a promoted officer appointed to the Indian Police Service on probation is confirmed with effect from a date prior to the date of his promotion to the Indian Police Service in the higher state of the State Police Service in which he holds a lien during the period of probation and there is, thus, an enhancement of his actual pay in the State Police Service his pay in the senior time scale of the Indian Police Service shall be recalculated in accordance with the principles laid down in this Section on the basis of his enhanced pay in the State Police Service, as if he was promoted to the Indian Police Service with effect from the date of such enhancement.

(6) Where a promoted officer who on the date of his appointment to the Indian Police Service had held or is holding continuously a post other than a cadre post under the State Government or the Central Government or on foreign Service and the post is :

(a) in a time scale identical to the time scale of a cadre post, or

(b) equal in status and responsibilities to a cadre post, and the State Government concerned furnishes a certificate to the Central Government within three months of his appointment to a post other than a cadre post or within three months of the date on which the next Junior Select List Officer is appointed to a cadre post, whichever is later, that he would have so officiated in a cadre post under rule 9 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, but for his appointment to a post other than a cadre post :—

(i) as relating to a post under clause (a) for a period not exceeding one year and, with the approval of the Central Government, for a further period not exceeding two years, or

(ii) as relating to a post in clause (b), for a period not exceeding three years, his initial pay in the senior time scale of the Indian Police Service fixed in accordance with clause (1) shall not be at a stage lower than the pay he drew or draws in the said non-cadre post :

Provided that the number of officers in respect of whom the certificate shall be current at one time shall not exceed-one-half of the maximum size of the Select List permissible under sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Police Service (Appointment by promotion) Regulations, 1955 and follow the order in which the names of such officers appear in the Select List ;

Provided further such certificate shall be given only if, for every senior officer in the Select List appointed to a non-cadre post in respect of which the certificate is given, there is one junior Select List officer officiating in a senior post under rule 9 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 ;

Provided also that the number of officers in respect of whom the certificate is given, shall not exceed the number of posts by which the number of cadre officers holding non-cadre posts under the control of the State Government falls short of the deputation reserve sanctioned under the schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.

(7) The basic pay of a promoted officer shall not in any case, be fixed below the minimum of the senior time scale

(8) Notwithstanding anything contained in any clause in this Section, the basic pay of a promoted officer in the Indian Police Service Time-scale shall not at any time exceed the basic pay he would have drawn in the Indian Police Service Time-scale as a direct recruit on that date if had been appointed to the Indian Police Service on the date on which he was appointed to the State Police Service.

(9) Notwithstanding anything contained in any clause in this Section, the pay of a promoted officer, whose pay has been fixed in the senior scale of the India Police Service prior to the date of publication in the Official Gazette of the Indian Police Service (Pay) .....Amendment Rules, 1978, in accordance with the existing provisions of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, shall not be fixed in the revised senior scale of the Indian Police Service under the Section at a stage lower than the pay fixed earlier.

ILLUSTRATIONS

The method to be followed in fixing the pay of a promoted officer under clause (1) of this section is indicated below :—

I. The following data in respect of the promoted officers to be noted down :—

(a) Actual pay of the officer in the State Police Service or, as the case may be, his assumed pay in that Service;

(b) Completed years of service in the State Police Service and

(c) Number of increments in the senior time scale of the Indian Police Service calculated at the rate of one increment for every three years of service in the State Police Service.

II. Tabulate the information as follows to arrive at the initial pay to be fixed in the senior time scale of the Indian Police Service :—

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
(a) Pay in the State Police Service	690	1190	1000	1350	1220	1125
(b) Completed years of service in the State Police Service	7	11	10	22	19	8
(c) Number of increments	2	3	3	7	6	2
(d) Amount of increments	100	150	150	350	300	100
(e) Pay arrived at by addition of (a) and (d)	790	1340	1150	1700	1520	1225
(f) Stage at which pay should be fixed	1200	1350	1200	1700	1550	1250
(g) Resultant increase	510	160	200	350	330	125
(h) Actual amount of increase subject to the minimum and maximum specified	200	160	200	200	200	150
(i) Pay arrived at by addition of (a) and (h)	890	1350	1200	1550	1420	1275
(j) Stage at which pay should be fixed in the senior time-scale of Indian Police Service	1200	1350	1200	1550	1450	1300

(A) is a case where the resultant increase exceeds the maximum increase of Rs. 200 and the pay in the State Police Service plus Rs. 200 results in a figure below Rs. 1200. The pay is, therefore, fixed at the minimum of the senior time scale.

(B) is a case where the resultant increase falls within maximum and the minimum increase.

(C) is a case where the resultant increase is Rs. 200 and the pay fixed corresponds to a stage in the senior time scale of the Indian Police Service and as such pay is to be fixed at that stage and not at the next higher stage.

(D) illustrates that when the resultant increase exceeds the maximum increase of Rs. 200, pay is to be fixed at the stage of senior time scale of Indian Police Service equal to the pay in the State Police Service plus Rs. 200.

(E) is a case where the maximum increase of Rs. 200 results in an amount which is not a stage in the senior time scale of the Indian Police Service. The pay in such a case is fixed at the next higher stage. This case also illustrates how the increments are to be calculated when the pay of a promoted officer in the lower scale of the State Police Service is over Rs. 1200.

(F) is a case where the resultant increase is less than the minimum increase of Rs. 150. In such a case pay is fixed at the stage of senior time scale of the Indian Police Service equal to pay in the State Police Service plus Rs. 150. But as this amount does not correspond to a stage, pay is to be fixed at the next higher stage.

SECTION II—FIXATION OF INITIAL PAY OF PROMOTED OFFICERS FALLING UNDER RULE 4(4)

(1) In the case of a promoted officer who has already officiated in a cadre post and such an officiation has been held by the Central Government and wherever necessary in consultation with the Union Public Service Commission, to be in accordance with rule 9 of the Indian Police Service, (Cadre) Rules, 1954, prior to his appointment to the service, his pay shall be fixed at a stage not lower than the pay he drew in the senior-time scale of the Indian Police Service while last officiating in a cadre post.

(2) In the case of a promoted officer appointed to the Indian Police Service on probation, on any enhancement of his actual pay in the State Police Service in which he holds a lien, as a result of an increment in the lower scale or the higher scale of that service, or in the event of confirmation in the higher scale the officer shall, during the period of probation, be entitled to have his pay in the senior time scale of the Indian Police Service recalculated in accordance with the principles laid down in the Section I on the basis of his enhanced pay in the State Police Service, as if he was promoted to the Indian Police Service with effect from the date of such enhancement.

(3) If a promoted officer appointed to the Indian Police Service on probation is confirmed in the higher scale of the State Police Service in which he holds a lien during the period of probation and there is, thus, an enhancement of his actual pay in the State Police Service, his pay in the senior time scale of the Indian Police Service shall be recalculated in accordance with the principles and laid down in Section I on the basis of his enhanced pay in the State Police Service, as if he was promoted to the Indian Police Service with effect from the date of such enhancement.

SECTION III—FIXATION OF INITIAL PAY OF A MEMBER OF THE STATE POLICE SERVICE FALLING UNDER RULE 4(5)

(1) The initial pay of a member of the State Police Service appointed to officiate in a cadre post shall be fixed in accordance with the principles enunciated in Section I :

Provided that if such a member of the State Police Service had already officiated in a cadre post with the approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, as the case may be, his pay under this section shall be fixed at a stage not lower than the pay he drew in the senior time scale of the Indian Police Service while last officiating in such a post subject to the condition that the period of earlier officiation in a cadre post is in accordance with the provisions of rule 9 of the Indian Police Service (Cadre) Rule, 1954;

NOTE : In the case of a member of the State Police Service who has been officiating in a cadre post from a date prior to the first day of January, 1973, his pay in the senior time scale of the Indian Police Service shall be recalculated in accordance with the principles enunciated in Section I, as if he was appointed to officiate in the cadre post with effect from the first day of January, 1973.

(2) On any enhancement of his substantive pay in the State Police Service as a result of an increment in the lower or the higher scale of that service, a member of the State Police Service officiating in a cadre post shall be entitled to have his pay in the senior time scale of the Indian Police Service recalculated in accordance with the principles laid down in Section I on the basis of his enhanced pay in the State Police Service as if he was appointed to officiate in the cadre post with effect from the date of such enhancement.

(3) If a member of the State Police Service officiating in a cadre post is promoted substantively to the higher scale of pay of the State Police Service his pay in the senior time scale of the Indian Police Service shall be recalculated in accordance with the principles enunciated in Section I, as if he was appointed to officiate in the cadre post with effect from the date of such enhancement.

(4) Increments of pay in the senior time scale of the Indian Police Service shall be granted to a member of the State Police Service officiating in a cadre post on completion of one full year's service on any stage of that scale :

Provided that for the purposes of calculating one year's service under this clause,—

(i) broken periods of officiating service on a particular rate of pay which is in accordance with the provisions of rule 9 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, shall be taken into account ;

(ii) Leave, except extraordinary leave otherwise than on medical certificate, taken during officiation in cadre posts shall count for increment if, on the expiry of the leave, the officer returns to the same post on the same rate of pay and the State Government certifies that, but for proceeding on leave, the officer would have continued to officiate in the same or any other cadre post. The Central Government may, in any case in which it is satisfied that the extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate, was taken for any cause beyond the control of the officer concerned or for prosecuting higher scientific and technical studies, direct the that extraordinary leave, taken otherwise than on medical certificates, shall count for increment ;

(iii) Any period of service on a particular rate of pay covered under clause (6) of Section I, shall be taken into account ;

Provided further that a member of the State Police Service officiating in a cadre post shall not be granted an increment in the Senior Time scale of the Indian Police Service unless he completes an aggregate period of eight year's service in the State Police Service.

(5) The pay of a member of the State Police Service officiating in a cadre post and such an officiation has been held by the Central Government in consultation with the Union Public Service Commission, wherever necessary, to be not in accordance with the provision of Rule (9) of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 shall be regulated in the scale of the State Police Service, subject to any modifications made by the Central Government in this regard.

(6) Notwithstanding anything contained in any clause in this Section, where the Central Government is satisfied that the operation of any clause or clauses of this Section causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of that clause or clauses, as the case may be, to such an extent and subject to such exceptions and conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in just and equitable manner."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973, were issued to implement the recommendations made by the Third Central Pay Commission in respect of the pay scales of Class II, Class III and Class IV employees. They were given effect to from the 1st January, 1973. Government have since broadly accepted, with some modifications, the recommendations of the Third Central Pay Commission regarding the pay scale in Class I Services/posts and the All India Services and have decided that except in respect of revision of pay or scales of pay posts which have been upgraded to Rs. 3,000 (fixed) or above, the date of effect of revision of pay scales in Class I Services/posts and the All India Services shall be the same as for employees in Class II or Class IV, namely, the 1st January, 1973. The Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, are, therefore, being amended accordingly. (No officer is likely to be adversely affected by this Notification being given retrospective effect).

[No. 11030/3/78-AIS(II)]
K. L. NEGI, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1978

सा०का०नि० 218.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तकनीकी विकास महानिदेशालय (वर्ग-1) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए पद/पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारूप —(1) उन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय (समूह क पद) भर्ती संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 तकनीकी विकास महानिदेशालय (वर्ग I पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में —

(i) मद 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"3 विकास अधिकारी (इंजीनियरी)	32	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	1100-50-1500-द० चयन रो०-60-1800 द०		45 वर्ष से अधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की यांत्रिक/विद्युत/इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी या धातुकर्म में उपाधि या समतुल्य, (ii) पाँच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, जिसमें से 2 वर्ष औद्योगिक उपक्रमों में विनिर्माण या विकास समस्याओं से संबंधित होना चाहिए या भारत सरकार/राज्य सरकारों के ऐसे विभागों में जो इंजीनियरी धातुकीय उद्योगों की योजना/विकास/उत्पादन की समस्याओं के साथ बरतते हैं समतुल्य अनुभव।

टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उन से भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

टिप्पण : अपेक्षित वास्तविक अर्हताओं और अनुभव का उल्लेख पद की अपेक्षानुसार भर्ती के समय किया जाएगा।

(अर्हताएं अन्यथा युक्तिसंगत अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है, विशेषतः अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में, उनके लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकती है।

वांछनीय :

(i) औद्योगिक परियोजना के आर्थिक निर्धारण का अनुभव या औद्योगिक समुत्थान के तकनीकी निदेशों के प्रवर्तनशील भाग का और प्रबन्ध का अनुभव।

(ii) अंग्रेजी से भिन्न किसी विदेशी भाषा, अर्थात् जर्मन, फ्रेंच, रूसी या इतालवी भाषा का ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
आयु : हां शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा सम्मिलित है), और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा—60 प्रतिशत (ii) सीधी भर्ती द्वारा—30 प्रतिशत (iii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा सम्मिलित है), जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा—10 प्रतिशत।	प्रोन्नति : सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) जिसकी उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा हो (जिसके सहायक विकास अधिकारी (वर्ग-2) के रूप मे की गई सेवा भी सम्मिलित है) टिप्पण : जहां इन नियमो के अधीन प्रोन्नति के लिए किसी भी अधिकारी के नाम पर विचार किया जाता है, वहां उस श्रेणी मे उससे श्रेष्ठ सभी व्यक्तियो के नामो पर भी इस बात के होते हुए भी विचार किया जायेगा कि उन्होने उस श्रेणी मे नियमित सेवा के वर्षों की विनिर्दिष्ट सख्या पूरी नही की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमे अल्पावधि संविदा सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारो पब्लिक सेक्टर उपक्रमो या मान्यता-प्राप्त अनुसधान संस्थानो के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिनकी 700-1300 रु० या समतुल्य वेतन मान के पदो पर पांच वर्ष की सेवा हो और जिनके पास सीधी भर्ती वालों के लिए स्तम्भ 7 मे विहित अर्हताएं और अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि साधारणत 3 वर्ष से अधिक नही होगी)। स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारो के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिनकी 700-1300 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदो पर पांच वर्ष की सेवा हो।	अध्यक्ष : अध्यक्ष/सदस्य, सघ लोक सेवा आयोग सदस्य : 1. उप महानिदेशक (रसायन), तकनीकी विकास महानिदेशालय 2 संयुक्त सचिव (प्रशा०) तकनीकी विकास महानिदेशालय।	चयन सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।"

1	2	3	4	5	6	7
"7. विकास अधिकारी (रसायन)	25	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	1100-50-1500-द० रो०-60-1800 रु०	चयन	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उन से भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की रसायन में एम० एससी० की उपाधि या रसायन इंजीनियरी/शिल्प विज्ञान में उपाधि, या समतुल्य। (ii) लगभग पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष विनिर्माण से संबंधित औद्योगिक उपक्रमों में या विकास समस्याओं का होना चाहिए या सरकार के ऐसे विभागों में जो रसायन उद्योगों की योजना विकास, उत्पादन समस्याओं के साथ बरतने वाले समतुल्य अनुभव। टिप्पण :—अपेक्षित वास्तविक अर्हताओं और अनुभव का उल्लेख पद की अपेक्षानुसार भर्ती के समय किया जायेगा। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है, विशेषतः अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में, उनके लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकती है।) वांछनीय :— (i) औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तीय निर्धारण का अनुभव। (ii) अंग्रेजी से भिन्न किसी एक विदेशी भाषा अर्थात् : जर्मन, फ्रेंच, रूसी या इतालवी भाषा का ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
आयु : हां शैक्षिक अर्हताएं : हां।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा सम्मिलित है), और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा—60 प्रतिशत, (ii) सीधी भर्ती द्वारा—30 प्रतिशत ; (iii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा सम्मिलित है), जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा—10 प्रतिशत।	प्रोन्नति : सहायक विकास अधिकारी (रसायन) (जिसकी उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो। (जिसमे सहायक विकास (अधिकारी वर्ग 2) के रूप में की गई सेवा भी सम्मिलित है) टिप्पण : जहां इन नियमो के अधीन प्रोन्नति के लिए किसी भी अधिकारी के नाम पर विचार किया जाता है। वहां उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियो के नामो पर भी इस बात के होते हुए भी विचार किया जायेगा कि उन्होने उस श्रेणी में नियमित सेवा के वर्षों की विनिर्दिष्ट संख्या पूरी नही की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पावधि संविदा सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारो/पब्लिक सेक्टर उपक्रमो या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानो के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी, जिनकी 700—1300 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदो पर पांच वर्ष की सेवा हो और जिनके पास सीधी भर्ती वालो के लिए स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव हों। (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	अध्यक्ष : अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग सदस्य . 1. उप महानिदेशक (रसायन) तकनीकी विकास महानिदेशालय 2 संयुक्त सचिव (प्रशा०) तकनीकी विकास महानिदेशालय	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।"

[फा०सं० ए12018/1/75-ई-4]

श्रीमती सुशीला भगोत, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 11th January, 1978

G.S.R. 218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General of Technical Development (Class I) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Technical Development (Group A posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. In the Schedule to the Directorate General of Technical Development (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963 :—

(i)For item 3 and entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"3. Development Officer (Engineering)	32	General Central Service Group A Gazetted	Rs. 1100-50-1500-EB-60-1800.	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree in Mechanical/ Electrical/Electronics/ Industrial Engineering or Metallurgy of a recognised University or equivalent. (ii) Five years' practical experience out of which 2 years should be in industrial undertakings connected with the manufacture of developmental problems or equivalent experience in Departments of Government of India/State Governments dealing with planning/development/production problems of Engineering/Metallurgical Industries. Note : The actual qualifications and experience required shall be indicated at the time of the recruitment according to the requirements of the post. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified in particular, the qualificatiions regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them. Desirable : (i) Experience in Economic assessment of Industrial Projects or experience on the operative part of technical directions and management of industrial concerns. (ii) Knowledge of an European language other than English, viz. German, French, Russian or Italian.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualifications : yes	2 years	(i) By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment—60% (ii) By direct recruitment—30% and, (iii) By transfer on deputation (including short-term contract) failing which by promotion—10%.	Promotion : Assistant Development Officers (Engineering) with five years' service in the grade (including service rendered as Assistant Development Officer Grade II) rendered after appointment thereto on a regular basis. Note : Where an officer is considered for promotion under these rules, all persons senior to him in that grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered specified number of years of regular service in that grade. Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers holding analogous posts or with five years' service in posts in the scale of Rs. 700—1300 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7 from the Central/State Governments/ Public Sector Undertaking or Recognised Research Institutions. (Period of deputation/ contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 1. Deputy Director General (Engineering), Directorate General of Technical Development —Member 2. Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Development—Member.	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission."

(ii) For item 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"7. Development Officer (Chemicals)	25	General Central Service Group A Gazetted	Rs. 1100-50-1500-EB-60-1800	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) M.Sc. Degree in Chemistry or a Degree in Chemical Engineering/Technology of a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years' practical experience out of which at least 2 years should be in industrial undertakings connected with the manufacture or developmental problems or equivalent experience in Government Departments dealing with planning/development/production problems of chemicals industries. Note : The actual qualifications and experience required shall be indicated at the time of the recruitment according to the requirements of the post. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : (i) Experience in Economic Assessment of Industrial projects. (ii) Knowledge of an European language other than English, viz. German, French, Russian or Italian.

8	9	10	11	12	13
Age No Educational Qualifications · Yes	2 years	(i) By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment—60% (ii) By direct recruitment 30% (iii) By transfer on deputation (including short-term contract) failing which by promotion—10%.	Promotion · Assistant Development Officers (Chemicals) with five years' service in the grade [including service rendered as Assistant Development Officer (Grade II) rendered after appointment thereto on a regular basis. Note Where an officer is considered for promotion under these rules, all persons, senior to him in that grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered specified number of years of regular service in that grade Transfer on deputation (including short-term contract) Officers holding analogous posts or with five year's service in posts in the scale of Rs 700-1300 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7 from the Central/State Governments, Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions (Period of deputation/ contract shall ordinarily not exceeding 3 years)	Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 1 Deputy Director General (Chemicals) Directorate General of Technical Development —Members 2 Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Development—Member	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission."

[F No. A-12018/1/75-E IV]

Smt. S BHANOT, Under Secy

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 21st January, 1978

G.S.R. 219.—The following draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act, for the information of all persons likely, to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration at the end of three months from the date the Gazette containing this notification of publication is made available to the public

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industrial (Department of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi.

DRAFT REGULATIONS

1 These regulations may be called the Indian Boilers(Amendment) Regulations, 1978.

2 In the Indian Boiler Regulations, 1950, in appendix 'G', in the list of "Well known Steel Makers", the following shall be added at the end, namely :—

"72 M/s Bokaro Steel Ltd,
Main Administrative Building,
Bokaro Steel City-1.
Distt · Dhanbad (Bihar)"

[F No 8(6)/77-Boilers]

S. C DEY, Secy

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 220.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति रसायन और उर्वरक मंत्रालय में प्रायोजना अधिकारी (उर्वरक) के पद की नियुक्ति पद्धति को नियमित करने हुए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) ये नियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, प्रायोजना अधिकारी (उर्वरक) भर्ती नियम, 1977 कहलाये जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान —पद संख्या इसका वर्गीकरण और वेतनमान, इन नियमो के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 के अनुसार होंगे ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता आदि —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा. शैक्षणिक योग्यता और उससे संबंधित अन्य मामले उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 के अनुसार होंगे।

4 अनर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह करने के लिए अनुबन्ध किया हो जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो, अथवा,

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने के लिए अनुबद्ध हो,

उक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे दे कि ऐसे व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं।

5. छूट देने का अधिकार :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वह ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके एक आदेश द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध मे इन नियमो के किसी भी प्रावधान मे छूट दे सकती है।

6 बचाव :—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध मे समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण और अन्य छूटों पर इन नियमो का कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या यह प्रवरण पद है अथवा गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रायोजना अधिकारी (उर्वरक)	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "क" राज-पत्रित	रु० 1500-60-1800	लागू नही होता	15 वर्ष से अधिक नही (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से रसायन शास्त्र में स्नातकोतर डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरिंग/ प्रोद्योगिकी में डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता, (2) रसायन उद्योग मे प्रायोजना विनियोजन प्रक्रिया मूल्यां-कन और विकास अथवा रसायन उद्योग के योजना/ विकास/उत्पादन समस्याओं से सम्बन्धित सरकार विभाग में 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

1	2	3	4	5	6	7
						(iii) औद्योगिक प्रायोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन का अनुभव (अभ्यर्थी के अन्यथा सुयोग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा योग्यता मे छूट दी जा सकती है विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो के लिए आरक्षित पदो के लिए अनुभव मे छूट दी जा सकती है । वांछनीय उर्वरक के उत्पादन मे व्यावहारिक अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति के मामलो पर भी लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से और विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से की जाए तो किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाए	यदि कोई डी०पी०सी० हो तो उसका गठन कैसे किया गया है	भर्ती के लिए किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है
लागू नही होता	2 वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर (जिसमे अल्पकालिक ठेके भी शामिल हैं) ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर जिसमे अल्पकालिक ठेके भी शामिल है । केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/अर्ध सरकारी संगठनो मे समान पदो पर कार्य करने वाले अधिकारी अथवा रुपये 1300-1700 और 1100-1600 के वेतन मान मे क्रमश 3 वर्ष और 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा उसके समकक्ष अनुभव वाले अधिकारी जो कालम 7 मे निर्धारित योग्यता रखते हो (प्रतिनियुक्ति/ठेके की अवधि आम तौर पर 4 वर्ष से अधिक नही होगी)	स्थायीकरण के लिए डी० पी०सी० निम्न प्रकार होगी (क) सचिव अध्यक्ष (ख) प्रशासन का कार्यभारी संयुक्त सचिव—सदस्य (ग) संयुक्त सचिव (एफ)/निदेशक (एफ) सदस्य	प्रत्येक मामले मे संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति की जायेगी

[फाइल सं० ए०-42011/11/77-स्था०]

गोकल राम, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, the 10th January, 1978

G.S.R. 220. -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Project Officer (Fertilizer) in the Ministry of Chemicals and Fertilizer, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers Project Officer (Fertilizer) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay : —The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications :—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5 Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Project Officer (Fertilizer)	2	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1500-60-1800.	Not Applicable	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's degree in Chemistry or Degree in Chemical Engineering/Technology from a recognised University/Institute or equivalent. (ii) 10 years' practical experience connected with Project Planning, process evaluation and development in a chemical industry or equivalent experience in Government Departments dealing with Planning/development/production problem of chemical industries. (iii) Experience in evaluation of industrial project reports (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified: in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : Practical experience in the production of fertilizer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years	50% by direct recruitment and 50% by transfer on deputation (including short-term contact) failing which by direct recruitment	Transfer on deputation (including short-term contract) Officers under the Central/ State Governments/ Public Sector Undertakings/Semi-Government Organisations holding analogous posts or with 3 years' and 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1300-1700 and Rs. 1100-1600 respectively or equivalent and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation/ contract shall ordinarily not exceed 4 years).	The D.P.C. for confirmation of direct recruits will be as under: (a) Secretary— Chairman. (b) Joint Secretary incharge of Administration—Member. (c) JS(F)/Dir. (F)— Member.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[File No. A-42011/11/77-Estt.]

GOKAL RAM, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

सा०का०नि० 221—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता मे समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा, समूह 'ग' भर्ती नियम 1978 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताए आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :—

परन्तु नीचे भर्ती के लिए विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियो के मामले मे शिथिल की जा सकेगी।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति, और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक श्रेणी 3	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	300-10-380-द० रो-12-500-द० रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष 1. सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है। 2. परन्तु सीधी भर्ती के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष प्रवर्ग के अन्य व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है। 3. प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों की सूची भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। वांछनीय विज्ञान/कला/वाणिज्य में उपाधि और आशुलिपि का अच्छा ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत रोजगार कार्यालय की मार्फत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा० सं० 12018/1/77 डी० और एम० एम०]

सी० वेंकटकेशन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 25th January, 1978

G.S.R. 221.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Central Drugs Laboratory, Calcutta in the Directorate General of Health Services namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Drugs Laboratory, Calcutta in the Directorate General of Health Services Group 'C' Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—Tre number of post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, Scheduletd Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of that rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect the reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of Posts	Classicfication	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct rectuitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Stenographer, Grade III	One	General Central Service Group 'C' Non- Gazetted Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	18 to 25 years 1. Relaxable upto 35 years in case of Government servants. 2. Upper age limit prescribed may be relaxed in favour of the Scheduled Castes/ the Scheduled Tribes or other special category of persons in accordance with the instructions issued by Central Govnment from time to time. 3. The cruical date of determinning the age in each case shall be the last date upto which Employment exchange were asked to intimate the list of candidates.	Essential: Matriculation or equivalent with minimum 100 W.P.M. in Shorthand and 40 W.P.M. in type writing. Desirable: A Degree in Science/Arts/Commerce with good knowledge of Stenographers.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by the various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment through Employment Exchange	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. A-12018/1/77-D & MS]

G. PANCHA PAKESAN, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1977

सा०का०नि० 222—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, (वर्ग 1 और 2 अनावधिक पद) भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय ; (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती नियम, 1966 में, उप रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम सं० 28 के सामने—

(i) स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित";

(ii) स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि "700-40-1100-50/2-1250" रु० के स्थान पर प्रविष्टि "1100-50-1600 रु०" रखी जाएगी ;

(iii) स्तम्भ 10 में, विद्यमान प्रविष्टि "लागू नहीं होता" के स्थान पर प्रविष्टि "2 वर्ष" रखी जाएगी ;

(iv) स्तम्भ 11 में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा", शब्दों के स्थान पर शब्द, "प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर स्थानान्तरण द्वारा," रखे जाएंगे ।

(v) स्तम्भ 12 में, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर स्थानान्तरण.—केन्द्रीय सरकार के संवृत्त पद धारण करने वाले या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 700-1300 रु० या समतुल्य वेतनमान में के पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की हो या 650-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान में के पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्हें स्थापन तथा लेखा कार्य का अनुभव हो । सहायक रजिस्ट्रार, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून, जिसको उस श्रेणी में 7 वर्ष की नियमित सेवा हो, पर भी विचार किया जाएगा और, यदि उसका चयन हो जाता है तो यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा;

(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)";

(v) स्तम्भ 14 में, प्रविष्टि, "इन नियमों के अधीन यथाअपेक्षित," के स्थान पर प्रविष्टि, "चयन, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा," रखी जाएगी ।

[सं० 1-21/76-वन-I (भाग i)]

वी० कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 23rd December, 1977

G.S.R. 222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Forest Research Institute and Colleges, (Class I and Class II non-tenure posts) Recruitment Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Forest Research Institute and Colleges, (Class I and Class II non-tenure posts) (Second Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Forest Research Institute and Colleges, (Class I and Class II non-tenure posts) Recruitment Rules, 1966 against serial number 28 relating to the Post of Deputy Registrar—

(i) in column 4, for the existing entry, the following entries shall be substituted :—

"General Central Service Group 'A' Gazetted";

(ii) in column 5, for the existing entry "Rs. 700-40-1100-50/2-1250", the entry "Rs. 1100-50-1600" shall be substituted ;

(iii) in column 10, for the existing entry "Not applicable", the entry "2 years" shall be substituted ;

(iv) in column 11, for the words "by deputation" the words "By transfer on deputation/promotion" shall be substituted ;

(v) in column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"Transfer on deputation/promotion.—Officers of the Central Governent holding analogous posts or with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and having experience of establishment and accounts work. The Assistant Registrar, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun with 7 years' regular service in the grade shall also be considered and, in case he is selected, the post shall be treated as having been filled by promotion.

(Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)";

(vi) in column 14, for the entry "As required under the rules" the entry, "Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission" shall be substituted

[No. 1-21/76-FRY-I (Part I)]

V. KOHLI, Under Secy.

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 78

सा०का०नि० 223—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय से संलग्न कार्यालय, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग में कतिपय समूह 'ख" पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4 निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति, से विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) के अधीन राष्ट्रीय बाढ़ आयोग में प्रधान नक्शानवीस के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रधान नक्शानवीस	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	700-30-760-35-900 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ज्येष्ठ नक्शानवीस की श्रेणी में (425-700 रु०) 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी या समतुल्य। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	जब तक कि किसी अवसर पर इन नियमों को शिथिल किए जाने का प्रस्ताव न हो, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं होगा ।

[फा० सं० एफ०सी०-52(4)/76]

के० आर० चन्द्रशेखरन, उप सचिव

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 23rd January, 1978

G.S.R. 223.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group B posts in the Rashtriya Barh Ayog (National Flood Commission), an attached office of this Ministry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Rashtriya Barh Ayog (National Flood Commission) (Group B post) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publlication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Head Draftsman in the Rashitriya Barh Ayog (National Food Commission) under the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Irrigation)

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Head Draftsman	1	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted non-Ministerial	Rs. 700-30-760-35-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Methods of recruitment, whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case the recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its compostion	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers under the Central Government holding analogous posts on a regular basis or with 5 years regular service in the grade of senior draftsman (Rs. 425-700) or equivalent. (The period of deputation shall not ordiarily exceed 3 years.	Not applicable.	Consultation with the UPSC not necessary unless the provisions of these rules are proposed to be relaxed on any occasion.

[File No. FC-52 (4)/76]
K. R. CHANDRASEKHARAN, Dy Secy.

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

सा०का०नि० 224.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग के अधीन अनाज बचाओ आन्दोलन में चपरासी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारूप :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनाज बचाओ आंदोलन संगठन (चपरासी) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
चपरासी	22	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'	196-3-220-द० रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष, सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : अधिकतम आयुसीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों के नाम भेजने के लिए कहा जाए।	मिडिल स्कूल स्तर।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा।	स्थानान्तरण : ऐसे झाड़ूकशों, फर्राशों, चौकीदारों आदि में से, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो प्रारंभिक साक्षरता रखते हों और अंग्रेजी हिन्दी या प्रादेशिक भाषा पढ़ सकने का प्रमाण दे सकें।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फाइल नं० ए-12018/1/77-स्था-6]

चानन राम, अवर सचिव

(Department of Food)

New Delhi, the 25th January, 1978

G.S.R. 224.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Peon in the Save Grain Campaign Organisation under the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Food, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Save Grain Campaign Organisation (Peon) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, its classification and scale of pay.—The number of said posts, its clasification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recuitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or conracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Peon	22	General Central Service, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	25 years, relaxable for Government servants upto 35 years. Note 1.— The upper age limit may be relaxed also in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government. Note 2 : The crucial date of determining the age limit shall in each case, be the last date by which the employment exchanges are required to send the names of the candidates.	Middle School Standard.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation if any	Method of rectt whether by direct rectt or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt by promotion transfer, grades from which promotion to be made	If a DPC exists what is its compostion	Circumstances in which UPSC is to be Consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable	75% by direct recruitment 25% by transfer.	Transfer — From Sweepers Farashes, chowkidars etc who have put in minimum of 5 years of service and who possess elementary literacy and give proof of ability to read either English or Hindi or Regional language	Not applicable	Not applicable

[F No A-12018/1/77-E VI]
CHANAN RAM, Under Secy

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 225—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, पत्राचार पाठ्यक्रम के सहायक शिक्षा अधिकारी तथा मूल्यांकक भर्ती नियमावली, 1970 मे सशोधनार्थ एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, यथा —

1 (1) ये नियम केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, पत्राचार पाठ्यक्रम के सहायक शिक्षा अधिकारी तथा मूल्यांकक (सशोधन) नियमावली, 1978 के नाम से अभिहित किए जाए ।

(2) इनका प्रचलन सरकारी राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तिथि से माना जाएगा ।

2 केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, पत्राचार पाठ्यक्रम के सहायक शिक्षा अधिकारी तथा मूल्यांकक भर्ती नियमावली 1970 की अनुसूची मे कालम 10 मे सहायक शिक्षा अधिकारी (पत्राचार पाठ्यक्रम) के पद के सामने प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित परिवर्तन होगा —

"पदोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।'

[सं० 25-3/76 प्रशा० I/डी–258/78 डी II (भा०)]
सरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 25th January, 1978

G.S.R. 225—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Hindi Directorate Assistant Education Officers and Evaluators for Correspondence Cource Recruitment Rules, 1970, namely —

1 (1) These rules may be called the Central Hindi Directorate, Assistant Education Officers and Evaluators for Correspondence Courses (Amendment) Rules, 1978

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the Central Hindi Directorate Assistant Education Officers and Evaluators for Correspondence Course Recruitment Rules, 1970, against the post of Assistant Education Officer (Correspondence Courses) for the entry in Column 10, the following shall be substituted, namely —

"By promotion failing which by direct recruitment"

[No 25-3/76 Admn 1/D 258/78 D II(L)]
SARAN SINGH, Under Secy

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग 3 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 मे और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमो का नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग 3 अराजपत्रित पद) भर्ती (सशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे ।

2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग 3 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 मे, क्रम स० 59 और उससे सबधित प्रविष्टियो के पश्चात् निम्नलिखित क्रम स्थापित किया जाएगा (जैसा कि अनुसूची मे उल्लिखित है), अर्थात् —

क्रम०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण-लिपिक वर्गीय/अलिपिकवर्गीय/अराजपत्रित वर्ग 3/4 आदि	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद, केवल प्रोन्नति पदों के लिए	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए		परिवीक्षा की अवधि	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
							आयु सीमा	शैक्षिक अर्हताएं				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ज्येष्ठ बढ़ई	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अलिपिक-वर्गीय, अराजपत्रित	330-8-370-10-400-द०रो०-10 480 रु०	अचयन	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	लागू नहीं होता	ऐसे बढ़ई जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे – संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण —अध्यक्ष निदेशक (प्रशासन)—सदस्य निदेशक (अन्वेषण)—सदस्य अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II)—संयोजक
61	आशुलिपिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', लिपिक-वर्गीय, अराजपत्रित	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-25-800 रु०	अचयन	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	लागू नहीं होता	330-560 रु० वेतनमान में के ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने इस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे – संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण —अध्यक्ष निदेशक (प्रशासन) —सदस्य निदेशक (अन्वेषण) —सदस्य अनुभाग अधिकारी (प्रशा०-II) —सदस्य
62	ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', लिपिक-वर्गीय, अराजपत्रित	550-20-650-25-800 रु०	अचयन	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	28 वर्ष 1 सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है। 2 विहित अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर	आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि यदि मास्टर की उपाधि हिन्दी	दो वर्ष	नहीं	ऐसे हिन्दी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा सेवा की हो	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे – संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण —अध्यक्ष निदेशक (प्रशासन) —सदस्य

9	10	11	12	13
निकाले गए आदेशो के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियो के संबध मे शिथिल की जा सकेगी 3. प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह, तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मे हो तो स्नातक की उपाधि तक अंग्रेजी पढ़ी हो और यदि अंग्रेजी मे मास्टर की उपाधि हो तो स्नातक की उपाधि तक हिन्दी पढ़ी हो। या किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर की उपाधि प्राप्त की हो और स्नातक की उपाधि के स्तर तक एक विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ी हो। वांछनीय : (i) स्नातक की उपाधि के स्तर तक या समतुल्य स्तर तक संस्कृत एक विषय रहा हो। (ii) हिन्दी से भिन्न किसी भाषा का ज्ञान। (iii) हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव।			निदेशक (अन्वेषण) —सदस्य अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II) —संयोजक

1	2	3	4	5	6	7
63.	हिन्दी आशुलिपिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' लिपिक-वर्गीय, अराजपत्रित	330-10-380-द०रो० 12-500-द०रो०-15-560 रु०	लागू नही होता	सीधी भर्ती द्वारा

8	9	10	11	12	13
25 वर्ष 1. सरकारी सेवको के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है। 2. विहित अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी। 3. प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयो से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) आशुलिपि मे 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की सही-सही गति।	दो वर्ष	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
64.	हिन्दी टाइपिस्ट	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', लिपिक-वर्गीय, अराजपत्रित	260-6-290-द०रो० 6-326-8-366-द०रो०-8-390-द०रो०-10-400रु०	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा,

8	9	10	11	12	13
25 वर्ष 1. सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है। 2 विहित अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के संबंध मे शिथिल की जा सकेगी। 2 प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) मैट्रिकुलेशन या सम-तुल्य (ii) टंकण मे 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति।	2 वर्ष	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता

[सं० 36/5/77-प्रशासन-II]

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 7th December, 1977

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Archaeological Survey of India (Class III—Non-gazetted Posts) Recruitment Rules 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Archaeological Survey of India (Class III—non-gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Archaeological Survey of India (Class III—Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1968, after Sl. No. 59, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	No. of Posts	Classification Ministerial/ Non-Ministerial/ Non-Gazetted Class III/IV etc.	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection posts for promotion post only	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or Transfer and Percentage of Vacancies to be filled by various methods	For direct recruitment only: Age Limit.	For direct recruitment only: Educational qualification
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	Senior Carpenter	2	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480	Non Selection	By Promotion	Not applicable.	Not applicable

For direct recruitment only			Period of probation/ trail	Whether age and educational qualification Prescribed for direct recruitments will apply in case of promotions	In case of recruitment by promotion/transfer grade from which Promotion/ transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition
Educational qualification						
9			10	11	12	13
Not applicable.			2 years.	Not applicable.	Carpenter with 5 years' service in the grade.	Departmental Promotion Committee.— 1. Joint Director General Archaeological Survey of India.——Chairman. 2. Director (Administration)——Member 3. Director (Exploration) ——Member. 4. Section Officer (Adm. II)——Convener.

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	Stenographer	1	General Central Service Group 'C' Ministerial Non-Gazetted	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-25-800.	Non-Selection.	By Promotion.	Not applicable.
62.	Senior Hindi Translator	2	Do.	Rs. 550-20-650-25-800.	Do.	50% by promotion failing which by direct recruitment. 50% by direct recruitment.	28 years.— (i) Relaxable for Government Servants up to 35 years. (ii) The Upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to SC or ST and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government. (iii) The crucial date for determining the age limit will in each case, be the last date upto which the employment exchange are asked to submit names.

9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Not applicable	Stengographers in the scale of Rs. 330-560 with 5 years service in the grade.	Do.
Essential.— Master's Degree in Hindi or English from a recognised University subject to the condition that being Master's Degree in Hindi must have studied English upto Bachelor's Degree level and that having Masters degree in English must have studied Hindi up to Bachelor's degree. OR Passed Master's Degree in any subject in Hindi medium and must have studied English as one of the subjects upto Bachelor's Degree level. Desirable.— Sanskrit as one of the subjects upto Bachelor's Degree or equivalent level. (ii) Knowledge of language other than Hindi (iii) Experience of translation from Hindi to English and from English to Hindi.	2 years	No.	Hindi Assistant with 5 years service in the grade.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Hindi stenographers.	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministrial Non-Gazetted	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	By direct recruitment.	25 years.— (i) Relaxable for Government servants upto 35 years. (ii) The upper age limit prescribed may be related in the case of candidates of Scheduled Castes or Scheduled Tribe and other Special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government. (iii) The crucial date for determining the age limit will, in case be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit names.
64	Hindi Typist	2	Do.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Do.	By direct recruitment.	Do.

9	10	11	12	13
Matriculation OR equivalent accurate speed 80 words per minutes in Shorthand and 30 words per minute in typewriting.	2 years	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(i) Matriculation OR equivalent. (ii) Minimum speed of 25 words per minute in typewriting.	Do	Do.	Do.	Do.

[No. 36/5/77-Admn.II]

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1978

सा०का०नि० 227.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (वर्ग I और वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती (चौथा संशोधन) नियम, 1978 है ।

2. (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1967 की अनुसूची में क्रम संख्या 37 के विरुद्ध कालम 12 के विषय 4 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण —सदस्य"

[सं० 14/8/77-प्रशा०-1]

म०न० देशपाण्डे, महानिदेशक
तथा पदेन संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th January, 1978

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Archaeological Survey of India, (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1978.

2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Schedule to the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, against serial number 37, item 4 and the entry relating thereto in column 12, the following shall be substituted, namely :—

"4. Joint Director General,
Archaeological Survey of India —Member"

[F. No. 14/8/77-Adm. I]

M. N. DESHPANDE, Director General
and Ex-Officio Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 228—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन के न्यासी-मण्डल द्वारा निर्मित तथा महाराष्ट्र सरकार के 6 अक्तूबर, 1977 और 13 अक्तूबर, 1977 के राजपत्र, भाग 2 में प्रकाशित बम्बई पत्तन न्यास, वेतन एवं भत्ते, अवकाश और पेंशन नियमों का सार-संग्रह, 9वाँ संस्करण तथा बम्बई पत्तन, न्यास रेल सेवा नियम, चतुर्थ संस्करण के कुछ संशोधनों से संबंधित विनियमों का अनुमोदन करती है ।

[सं० पीईबी 74/77]

दीवानचन्द अहीर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 21st January, 1978

G.S.R. 228.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulations relating to certain amendments to the Bombay Port Trust, Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension Rules, 9th Edition and Bombay Port Trust Railway Services Rules, 4th Edition made by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise of the powers conferred by section 28, read with sub-section (2) of section 124, of the said Act and published in the Maharashtra Government Gazette, Part-II, dated the 6th October, 1977 and the 13th October, 1977.

[No. PEB-74/77]

D. C. AHIR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 229—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पत्र सूचना कार्यालय क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को पत्र सूचना कार्यालय क्षेत्रीय व शाखा कार्यालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 कहा जायेगा ।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. पत्र सूचना कार्यालय क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में,—

(i) जहाँ भी "तृतीय श्रेणी" शब्द आता है, उसके स्थान पर "वर्ग ग" प्रतिस्थापित होगा ;

(ii) उक्त नियम से सम्बद्ध अनुसूची में, मद 21 में :—

(क) कालम 4 के अंतर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "425-15-500-ब०रो०-15-560-20-700" की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ख) कालम 10 के अंतर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा" प्रविष्टि प्रतिस्थापित होगी ।

[सं० ए35016/1/77 स्था०]

एस० रामास्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 17th December, 1977

G.S.R. 229.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Press Information Bureau Regional and Branch Offices Class III (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (i) These Rules may be called the Press Information Bureau Regional and Branch Offices Class III (Non-Gazetted) post Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Press Information Bureau Regional and Branch Offices Class III (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1968,—

(i for the expression "Class III", wherever it occurs, the expression "Group C" shall be substituted ;

(ii) in the Schedule attached to the said rules, against item 21,—

(a) under column 4 for the existing entry, the entry "Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700" shall be substituted ;

(b) under column 10 for the existing entry, the entry "by deputation or transfer failing which by direct recruitment" shall be substituted.

[No. A35016/1/77-Estt.]

S. RAMASWAMY, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

सा०का०नि० 230.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा दण्डकारण्य परियोजना (श्रेणी I तथा श्रेणी II पदों) के भर्ती नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना (श्रेणी I तथा श्रेणी II) पदों के भर्ती संशोधन, 1977 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. दण्डकारण्य परियोजना (श्रेणी I तथा श्रेणी II पदों) के भर्ती नियम, 1968 (जो इसके बाद उक्त नियम कहलायेंगे) की प्रस्तावना के नियम 1 के उपनियम (1) तथा अनुसूची में जहाँ कहीं भी

'श्रेणी I तथा श्रेणी II' शब्द तथा अंक आए हों उनके स्थान पर "समूह 'क' तथा समूह 'ख'" शब्द तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"5 अयोग्यताएं :- - कोई व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो

या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा विवाह करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।"

4. उक्त नियमों में, नियम 6 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :- -

"7 अपवाद :

इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण तथा रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।"

5. उक्त नियमों की अनुसूची में :--

(क) क्रम संख्या 6 पर 'जोनल प्रशासक' के पद के सामने--

(1) कालम 1 में वर्तमान इंदराज के स्थान पर निम्नलिखित इंदराज प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात् :—

"जोनल प्रशासक (वरिष्ठ)"

(2) कालम 2 में अंक '3' के स्थान पर अंक '1' प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(3) कालम 4 में वर्तमान इंदराज के स्थान पर निम्नलिखित इंदराज प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"1200-50-1 300-60-1600-द०रो०-60-1900-100-2000 रुपये";

(ख) कालम 7 में "वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी/जोनल प्रशासक" के पदों के सामने--

(1) कालम 1 में वर्तमान इंदराज के स्थान पर निम्न इंदराज प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात: ;

"वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी/जोनल प्रशासक (कनिष्ठ)"

(2) कालम 4 में वर्तमान इंदराज के स्थान पर निम्न इंदराज प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"1100-50-1600 रुपए"।

[सं० 1(176)/76-प्रशासन-III]

सोहन लाल मेदीरत्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 25th January, 1978

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Dandakaranya Project (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dandakaranya Project (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968 (hereinafter referred to as the said rules), in the preamble, in sub-rule (1) of rule 1 and in the Schedule, for the words and figures 'Class I' and 'Class II', wherever they occur, the words and letters 'Group A' and 'Group B' shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 5, the following shall be substituted, namely :—

"5. Disqualifications —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

4. In the said rules, after rule 6, the following shall be inserted, namely :—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

5. In the Schedule to the said rules,—

(a) against the post of "Zonal Administrator" numbered as serial No. 6,—

(1) in column 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Zonal Administrator (Senior)" ;

(2) in column 2, for the figure "3" the figure "1" shall be substituted ;

(3) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1200-50-1300-60-1600-EB-60-1900-100-2000 " ;

(b) against the post of "Senior Executive Officer/Zonal Administrator" numbered as serial No. 7,—

(1) in column 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namelly :—

"Senior Executive Officer/Zonal Administrator (Junior)",

(2) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1100-50-1600".

[No. 1(176)/76-Adm. III]

S. L. MEDIRATTA, Under Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1978

सा०का०नि० 231.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 205क सरकारी कम्पनी को लागू नहीं होगा, इस अधिसूचना की प्रति प्रारूप के रूप में, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथा-अपेक्षित संसद् के दोनों सदनों में रखी जा चुकी है।

[फा०सं० 15/8/76-आई० जी० सी०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 31st January, 1978

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that section 205A of the said Act shall not apply to a Government company, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section.

[F. No. 15/8/76-IGC]

सा०का०नि० 232.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 187-ग सरकारी कम्पनी को लागू नहीं होगी, इस अधिसूचना की प्रति प्रारूप के रूप में, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथा-पेक्षित संसद् के दोनों सदनों मे रखी जा चुकी है।

[फा०सं० 15/14/75-आई० जी० सी०]

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-seclon (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that section 187-C of the said Act shall not apply to a Government company, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section.

[F. No. 15/14/75-IGC]

सा०का०नि० 233.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 297 की उपधारा (1) का परन्तुक किसी सरकारी कम्पनी को, उसके द्वारा किसी अन्य सरकारी कम्पनी के साथ की गई संविदाओं की बाबत, लागू नहीं होगा।

[फा०सं० 15/17/75-आई० जी० सी०]

G.S.R. 233.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that the proviso to sub-section (1) of section 297 of the said Act shall not apply to a Government company in respect of contracts entered into by it with any other Government company.

[F. No. 15/17/75-IGC]

सा०का०नि० 234.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की धाराएं 255, 256 और 257 ऐसी सरकारी कम्पनी को लागू नहीं होगी, जिसमें सम्पूर्ण समावत्त पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारो द्वारा धारित है। उस धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित इस अधिसूचना के प्रारूप की प्रति संसद् के दोनों सदनो में समक्ष रख दी गई है।

[फा०सं० 15/28/75-आई०जी०सी०]

G.S.R. 234.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that sections 255, 256 and 257 of the said Act shall not apply to a Government company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments, or by the Central Government and one or more State Governments, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section.

[F. No. 15/28/75-IGC]

सा०का०नि० 235.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धाराएं 198, 259, 268, 269, 309, 310, 311, 387 और 388 सरकारी कम्पनी को लागू नहीं होगी, इस अधिसूचना की प्रति प्रारूप के रूप में, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित संसद् के दोनो सदनो में रखी जा चुकी है।

[फा०सं० 15/30/75-आई० जी० सी०]

G.S.R. 235.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby affects that sections 198, 259, 268, 269, 309, 310, 311, 387 and 388 of the said Act shall not apply to a Government company, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section.

[F. No. 15/30/75-IGC]

सा०का०नि० 236.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 355 तारीख 17 जनवरी, 1957 में निम्नलिखित संशोधन करती है। इस अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति उस धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित लोक सभी के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में पैरा (1) का लोप किया जाएगा।

[फा०सं० 20/4/76-आई० जी० सी०]

G.S.R. 236.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 355 dated the 17th January, 1957, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, paragraph (1) shall be omitted.

[F. No. 20/4/76-IGC]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1978

सा०का०नि० 237.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 100, 101, 102, 103, 104, 391 और 394 के उपबन्ध नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता को, जो सरकारी कम्पनी है, नीचे विनिर्दिष्ट उपान्तरों सहित लागू होंगे, इस अधिसूचना के प्रारम्भ की प्रति, उक्त धारा 620 की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है, अर्थात् :—

उपान्तर

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 100, 101, 102, 103, 104, 391 और 394 में, "न्यायालय" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया हो, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

[फा०सं० 15/14/73-आई० जी० सी०]

New Delhi, the 1st February, 1978

G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that the provisions of sections 100, 101, 102, 103, 104, 391 and 394 of the said Act shall apply to the National Instruments Limited, Calcutta, a Government company, with the modifications specified below, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of the said section 620 namely :—

MODIFICATIONS

In sections 100, 101, 102, 103, 104, 391 and 394 of the Companies Act, 1956, for the word "Court" wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted.

[F. No. 15/14/73-IGC]

नई दिल्ली, 2 फ़रवरी, 1978

सा० का० नि० 238.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 100, 101, 102, 103, 391, 392, और 394 के उपबन्ध नीचे उपवर्णित उपान्तरणों के साथ सरकारी कम्पनी पर लागू होंगे इस अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति उस धारा की उपधारा (2) द्वारा यथा-अपेक्षित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी है।

उपान्तरण

(1) धारा 100, 101, 102, 103, 391, और 394 में जहां भी "न्यायालय" शब्द आया हो, वहां "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखा जाएगा;

(2) धारा 391 में, उपधारा (7) का लोप कर दिया जाएगा।

(3) धारा 392 की उपधारा (1) में "उच्च न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखा जाएगा।

[फ़ा० सं० 15/16/76-आई०जी०सी]
बी० बी० बरुरी, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 1978

G.S.R. 238.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that the provisions of sections 100, 101, 102, 103, 391, 392 and 394 of the said Act shall apply to a Government company with the modifications set out below, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section.

MODIFICATIONS

(1) In sections 100, 101, 102, 103, 391 and 394 for the word "Court", wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted;

(2) In section 391, sub-section (7) shall be omitted;

(3) In sub-section (1) of section 392, for the words "High Court", the words "the Central Government" shall be substituted.

[F. No. 15/16/76-IGC]
B. B. BARURI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 239.—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 3/61, तारीख 4 फरवरी, 1961 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त 8 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9क) कलक्टर अपने विकल्प पर, विनिर्माता से भिन्न निर्यातकर्ताओं को ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं पर हुक्का तम्बाकू को बंधपत्र के अधीन निर्यात करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।"

[अधिसूचना सं० 25/78-के०उ०शु० 261/4/87/77-सी०एक्स-8]
एस० के० भारद्वाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th February, 1978

CENTRAL-EXCISES

G.S.R. 239.—In exercise of the powers conferred by rule 191-B of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/61, dated the 4th February, 1961, namely :—

In the said notification, after condition 8, the following condition shall be inserted, namely :—

"(9A) The Collector may at his discretion, permit exporters other than manufacturers to export hookah tobacco in bond subject to such conditions and requirements as he may consider necessary".

[Notification No. 25/78-C.E.F. No. 261/4/87/77-CX8]
S K. BHARADWAJ, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 240.—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम

1944 के नियम 8 के उपनियम, (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 337/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क [सा. का. नि. सं. 731(अ)] तारीख 3 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (ग) में "उपायुक्त का" शब्दों के स्थान पर "या उपायुक्त या सचिव से अन्यून रैंक के किसी अधिकारी का" शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 29/78-के. उ. शु.—फा. सं. 71/2/78-सी. एक्स-2]

ए. एस. सिद्धु, अवर सचिव

New Delhi, the 11th February, 1978

CENTRAL EXCISE

G.S.R. 240.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 337/77-Central Excises [G. S. R. No. 731(F)], dated the 3rd December, 1977, namely :—

In the said notification, in clause (c) for the words "Deputy Commissioner in the said States", the words "Deputy Commissioner or an officer not below the rank of a Secretary to the Government of the said States" shall be substituted.

[Notification No. 29/78-C.E.—F. No. 71/2/78-CX-2]

A. S. SIDHU, Under Secy.

नौवहन व परिवहन मंत्रालय

(दीपघर और दीपपोत विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1978

दीपघर और दीपपोत

सा०का०नि० 241.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपघर और दीपपोत विभाग (अराजपत्रित अतकनीकी पद) भर्ती नियम 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दीपघर और दीपपोत विभाग (अराजपत्रित) (अतकनीकी पद) भर्ती संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दीपघर और दीपपोत विभाग (अराजपत्रित, तकनीकी पद) भर्ती नियम 1963 के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"4 क चपरासियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का गृह रक्षकों के रूप में प्रशिक्षण लेने का दायित्व।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, तीन वर्ष की अवधि के लिए गृह-रक्षक के रूप में प्रशिक्षण लेगा।

परन्तु महा समादेष्टा, गृह रक्षक, किसी व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण के निष्पादन और स्तर को ध्यान में रखते हुए, उस अवधि को घटा कर दो वर्ष कर सकता है।"

[फा० सं० 3/4/77-प्रशा०]

के० आर० बोस, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Department of Lighthouses and Lightships)

New Delhi, the 24th January, 1978

LIGHTHOUSES & LIGHTSHIPS

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Lighthouses and Lightships (Non-Gazetted Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Non-Gazetted, on-Technical) posts) Amendment Rules, 1977.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. After rule 4 of the Department of Lighthouses and Lightships (Non-Gazetted, non-Technical posts) Recruitment Rules, 1962, the following shall be inserted, namely.

"4A Liability of persons appointed as peons to undergo training as Home Guards.

Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years :

Provided that the Commandent General, Home Guards, may having regard to the performance of, and standard of training achieved by, any person during the period of training, reduce such period to two years".

[File No. 3/4/77-Admn.]

K. R. BOSE, Director General

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1978

सा०का०नि० 242—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, मोरमुगाओ पत्तन के न्यासी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के के लिए उक्त सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित, व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है।

सारणी

ये हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में नियोजित श्रमिक . . .	2
वाणिज्यिक समुद्री विभाग . . .	1
सीमा शुल्क विभाग . . .	1
गोवा, दमण और दीव सरकार . . .	1
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेलें	1

[फा० सं० पी०टी०बी-1/78]

(Transport Wing)

New Delhi, the 1st February, 1978

G.S.R. 242.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies th number of persons mentioned in column (2) of the Table

below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Mormugao.

TABLE

Interests to be represented	Number of person to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1
The Customs Department	1
The Government of Goa, Daman and Diu	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	1

[F. No. PTB-1/78].

सा०का०नि० 243.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के उपबंधों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 314 तारीख 26 फरवरी, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, मारमुगाओं पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के क्रमशः स्तम्भ (2) और (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में वर्णित प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में वर्णित, व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उक्त सारणी की क्रम सं० 6 और 7 में से प्रत्येक के सामने वर्णित निकाय की दशा में, ऐसे प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

सारणी

क्रम संख्या	निकायों का नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन	पोत स्वामी	1
2.	गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टस एसोसिएशन	नौभार परेषक	1
3.	गोवा चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री	नौभार परेषक	1
4.	फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री	नौभार परेषक	1
5	मारमुगाओ नगर परिषद्	अन्य हित	1
6	मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन	अन्य हित	1
7.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	अन्य हित	1

2 केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, 12 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा ।

[फा० सं० पी टी बी-1/78]
सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप सचिव

G.S.R. 243.—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 314 dated the 24th February, 1976, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interests, shown respectively in the corresponding entries in columns (2) and (3) of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Mormugao:

Provided that in the case of the body mentioned against each of the serial numbers 6 and 7 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the person to be elected by each such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected as Trustees
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indian National Shipowners Association.	Shipowners	1
2.	Goa Mineral Ore Exporters Association.	Shippers	1
3.	Goa Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
4.	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.	Shippers	1
5.	Mormugao Municipal Council.	Other interests	1
6.	Minerals and Metals Trading Corporation.	Other interests	1
7.	Indian Oil Corporation Limited.	Other interests	1

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 12th March, 1978 as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F. No. PTB-1/78].
S.P. JAIN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

व्यापार पोत

सा० का० नि० 244.—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 101 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के साथ पठित धारा 172 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नाविक (निजी उपयोग के लिए वस्तुओं का प्रदाय) नियम, 1966 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नाविक (निजी उपयोग के वस्तुओं का प्रदाय) संशोधन नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 नाविक (निजी उपयोग के लिए वस्तुओं का प्रदाय) नियम, 1966 की अनुसूची में, मद (क) में उपमद (i) और (ii) के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायं—

"(i) एक बड़ी प्लेट (ii) एक क्वाटर प्लेट अथवा कटोरी जिसका व्यास 3″ से कम न हो।	प्रोसेलेन अथवा स्टेनलेस स्टील या अनोडाइज्ड अल्यूमिनियम ।

[फा० सं० एम डब्ल्यू एस(61)/75-एम० टी०]
श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 1978

MERCHANT SHIPPING

G. S. R. 244.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 172, read with clause (i) of sub-section (2) of section 101 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Seamen (Supply of Articles for Personal Use) Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Seamen (Supply of Articles for Personal Use) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Seamen (Supply of Articles for Personal Use) Rules 1966, in item (a) for the entries against sub-items (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(i) one full plate (ii) One quarter plate or bowl (Katori) of not less than 3″ diameter.	Porcelain or Stainless steel or anodised Aluminium."

[File No. MWS (61)/75-MT]
Smt. B. NIRMAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978